पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

संगीता देवी एवं अन्य

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

2024 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.- 1726

में

लेटर पेटेंट अपील संख्या 125/2024

[के साथ **दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 1439/2024 में लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 146/2024; दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 1507/2024; दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 1521/2024; दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 1851/2024; दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 2516/2024; दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 2717/2024; दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 2733/2024; दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 4315/2024; दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 5497/2024; दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 5788/2024**]

16 मई, 2024

(माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री हरीश कुमार)

विचार के लिए मुद्दा

क्या जिला परिषद के अध्यक्ष या उपाध्याय के विरुद्ध "अविश्वास" प्रस्ताव जिला परिषद के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा या उपस्थित एवं मतदान करने वाले प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों के बहुमत द्वारा सफलतापूर्वक पारित किया जाएगा?

हेडनोट्स

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006----धारा 70----जिला परिषद के अध्यक्ष या उपाध्याय के विरुद्ध "अविश्वास" प्रस्ताव---वर्तमान मामले में विचारणीय मुद्दा यह है कि क्या जिला परिषद के अध्यक्ष या उपाध्याय के विरुद्ध "अविश्वास" प्रस्ताव जिला परिषद के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा या उपस्थित एवं मतदान करने वाले प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों के बहुमत द्वारा सफलतापूर्वक पारित किया जाएगा।

निर्णय: अधिनियम की धारा 70(4) में यह प्रावधान है कि यदि अध्यक्ष और उपाध्याय पर विश्वास की कमी व्यक्त करने वाला प्रस्ताव जिला परिषद के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत द्वारा विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए बुलाई गई बैठक में पारित किया जाता है, तो यह माना जाएगा कि अध्यक्ष और उपाध्याय ने तुरंत अपना पद खाली कर दिया है---वाक्यांश "विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए बुलाई गई बैठक में" को प्रावधान के पहले भाग अर्थात प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या का बहुमत के आवश्यक सहायक के रूप में पढ़ा जाना चाहिए---- बहुमत के लिए जिस संख्या की कल्पना की जाती है वह उन सदस्यों की संख्या है जो बैठक में उपस्थित होंगे, विशेष रूप से "अविश्वास" प्रस्ताव पर चर्चा करने के उद्देश्य से बुलाई गई है---- जिला परिषद के प्रत्येक सदस्य को इसकी बैठकों में मतदान करने का अधिकार है, लेकिन अध्यक्ष और उपाध्याय के चुनाव और हटाए जाने की स्थिति में, जिले के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से केवल सीधे निर्वाचित सदस्यों को ही मतदान करने का अधिकार है----अधिनियम की धारा 70 में निर्धारित मतों का बहुमत विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए बुलाई गई बैठक में सीधे निर्वाचित सदस्यों का है क्योंकि धारा 70 (4) में प्रावधान है कि ऐसी कोई बैठक जो विशेष रूप से बुलाई गई है, स्थगित नहीं की जाएगी और "अविश्वास" प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई विशेष बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी--- अधिनियम की धारा 70(4)(1) को संक्षिप्त रूप से पढ़ने पर यह कठिनाई उत्पन्न होती प्रतीत होती है कि अध्यक्ष और उपाध्याय ने अपना पद छोड़ दिया है---कार्यालय को तत्काल प्रभाव से सूचित किया जाएगा, यदि जिला परिषद के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत द्वारा और वाक्य के उत्तरार्द्ध भाग को पढ़े बिना, अर्थात्, इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से बुलाई गई बैठक में और एक स्वतंत्र प्रावधान है कि "अविश्वास" प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई विशेष बैठक के लिए कोई कोरम की आवश्यकता नहीं होगी, उसमें उसके प्रति अविश्वास व्यक्त करने वाला प्रस्ताव पारित किया जाता है----जिला परिषद के सीधे निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के 1/5 वें से अन्यून के अनुमोदन से "अविश्वास" प्रस्ताव लाया जा सकता है----प्रस्ताव पर उसी दिन चर्चा के बाद मतदान के लिए रखा जाना आवश्यक है, जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित तरीके से गुप्त मतदान द्वारा किया जाना है---इस प्रकार, "अविश्वास" के प्रस्ताव को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता होती है, न कि जिला परिषद के कुल निर्वाचित सदस्यों के बहुमत की---तदनुसार उत्तर दिया गया। **(पैरा 14, 15, 17, 18, 19, 29, 34, 36, 41)**

न्याय दृष्टान्त

सरिता कुमारी बनाम बिहार राज्य और अन्य, एल.पी.ए. संख्या 940/2008 .....**खारिज।**

धर्मशीला कुमारी बनाम हेमंत कुमार और अन्य, (2021) 3 पीएलजेआर 346.....**बरकरार रखा।**

अजमल इमाम बनाम बिहार राज्य, **(2011) 5** एससीसी **729;** सुल्ताना बेगम बनाम प्रेमचंद जैन, **(1197) 1** एससीसी **373** .....**संदर्भित।**

अधिनियमों की सूची

बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006; भारत का संविधान

मुख्य शब्दों की सूची

बिहार पंचायत राज---- जिला परिषद के अध्यक्ष या उपाध्याय के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव----'अविश्वास' प्रस्ताव की आवश्यकताएं---- प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या का बहुमत------ उपस्थित और मतदान करने वाले प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों का बहुमत---- विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए बुलाई गई बैठक---- बैठक के लिए कोरम--- मतदान का अधिकार--- व्याख्या का साधन।

प्रकरण से उत्पन्न

मामला जिला परिषद के अध्यक्ष या उपाध्याय के खिलाफ "अविश्वास" प्रस्ताव की आवश्यकताओं से संबंधित विरोधाभासी निर्णयों के समाधान के लिए पूर्ण पीठ को भेजा गया था।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

(2024 के पत्र पेटेंट अपील संख्या 125 में)

अपीलार्थी/ओं के लिए	:	श्री के. एन. चौबे, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री संजीव कुमार सिंह, अधिवक्ता
		श्री उमाकांत प्रसाद, अधिवक्ता
राज्य के अधिवक्ता	:	श्री पी. के. शाही, एजी
		श्री अजय, जी. ए.-5

		श्री अमीश कुमार, अधिवक्ता, ए. सी. से ए. जी.
जिला परिषद, सिवान के लिए	:	श्री धनंजय कुमार, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी संख्या 8-18 के लिए	:	श्री वाई. वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता।
		श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
		श्री विजय शंकर तिवारी, अधिवक्ता
		श्री रोहित सिंह, अधिवक्ता।
		श्री अविनाश शेखर, अधिवक्ता।

(2024 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 146 में)

अपीलार्थी/ओं के लिए	:	श्री कुमार हर्षवर्धन,
राज्य के अधिवक्ता	:	श्री जी. ए.-5
		श्री निरंजन कुमार, अधिवक्ता
		श्री सूर्य प्रताप कुमार, अधिवक्ता।

(2024 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 1507 में)

याचिकाकर्ताओं के लिए	:	श्री निरंजन कुमार, अधिवक्ता
		श्री रवि राज, अधिवक्ता
राज्य की ओर से	:	श्री अजय, जी.ए.-10

(दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 1521/2024 में)

याचिकाकर्ता/ओं की ओर से	:	श्री अवनीश कुमार, अधिवक्ता
राज्य की ओर से	:	श्री जी.पी.-27

(दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 1851/2024 में)

याचिकाकर्ता/ओं की ओर से	:	श्री अवनीश कुमार, अधिवक्ता
राज्य की ओर से	:	श्री खुर्शीद आलम, एएजी-12

(दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 2516/2024 में)

याचिकाकर्ता/ओं की ओर से	:	श्री मृत्युंजय कुमार, अधिवक्ता
राज्य की ओर से	:	श्री पी.के. शाही, ए.जी
		श्री अंजनी कुमार, एएजी-4
		श्री आलोक कुमार राही, एसी टू एएजी-4

श्री अमित कुमार झा, एसी टू एएजी-4
श्री उत्कर्ष भूषण, अधिवक्ता

(दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 2717/2024 में)

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
श्री विजय शंकर तिवारी, अधिवक्ता
श्री रोहित सिंह, अधिवक्ता
श्री अविनाश शेखर, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री मुज्तबाउल हक, जीपी-12
श्री मनीष कुमार, एसी टू जीपी-12
श्री अजीत कुमार सिंह, अधिवक्ता

(दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 2733/2024 में)

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
श्री विजय शंकर तिवारी, अधिवक्ता
श्री रोहित सिंह, अधिवक्ता
श्री अविनाश शेखर, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री सैयद हुसैन मजीद, एसी टू एससी
श्री सुनील कुमार ठाकुर, अधिवक्ता

(दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 4315/2024 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री पुष्कर नारायण शाही, वरीय अधिवक्ता
श्री शिवम, अधिवक्ता
श्री संजय कुमार, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री एएजी-13

एस.ई.सी. के लिए : श्री रवि रंजन, अधिवक्ता
श्री गिरीश पांडे, अधिवक्ता।

(2024 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 5497 में)

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री पुष्कर नारायण शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री शिवम, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी संख्या 9 के लिए	:	श्री ललित किशोर, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री आयुष कुमार, अधिवक्ता।
		सुश्री कनिष्क शंकर, अधिवक्ता।
		श्री रंजीत चौबे, अधिवक्ता।
राज्य के अधिवक्ता	:	श्री राघवानंद, जी. ए.-11
		श्री रजनीश शांडिल्य, एसी से जीए-11
		श्री प्रतीक कुमार, एसी से जीए-11
एस. ई. सी. के लिए	:	श्री रवि रंजन, अधिवक्ता।
		श्री गिरीश पांडे, अधिवक्ता।

(2024 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 5788 में)

याचिकाकर्ताओं के लिए	:	श्री अक्षांश अंकित, अधिवक्ता।
राज्य के अधिवक्ता	:	श्री सुशील कुमार, जीपी-22
		श्री नरेंद्र कुमार सिंह, एसी से जीपी-22

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गयाः घनश्याम, अधिवक्ता

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

लेटर्स पेटेंट अपील संख्या- 125/2024

दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 1726/2024

==========

1. संगीता देवी, पति जयराम यादव, निवासी गाँव- सरसा, थाना- धनौली, जिला- सिवान, वर्तमान में सदस्य, जिला परिषद, सिवान।
2. चांद तारा खातून, पति मुस्लिम अंसारी, निवासी गाँव- मनियां, थाना- जिरादई, जिला- सिवान, वर्तमान में सदस्य, जिला परिषद, सिवान।

.....अपीलार्थी/ओं

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना।
3. निदेशक, पंचायती राज, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना।
4. कलेक्टर सह जिला मजिस्ट्रेट, जिला सिवान।
5. उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सिवान।
6. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सिवान।
7. जिला पंचायती राज अधिकारी, सिवान।
8. पूनम कुमारी सिंह, पति कुलदीप सिंह, निवासी ग्राम एवं पोस्ट- आलापुर, थाना- पचरुखी, जिला-सिवान।
9. कमला देवी, पति ऐयत सिंह, निवासी ग्राम एवं पोस्ट- लाहेजी, थाना- एम. एच. नगर, जिला सिवान।
10. रजनीश गोंड, पिता जय प्रकाश गौर, निवासी ग्राम एवं पोस्ट- शाहपुर, थाना- नवतन, जिला सिवान।
11. रमेश कुमार सिंह, पिता नागा कुंवर, गाँव- मदारपुर, पोस्ट- किशुनपुरा, थाना- लाकड़ी नबीगंज, जिला-सिवान।
12. धुरेन्दर प्रसाद, पिता योगेंद्र प्रसाद, गाँव- रोहरा काला, पोस्ट- कैलगढ़, थाना- बधरिया, जिला-सिवान।

13. शारदा देवी, पति अवधेश महतो, निवासी ग्राम एवं पोस्ट- भागर, थाना- सिसवान, जिला-सिवान।
14. नितु देवी, पति शम्भू सिंह, निवासी ग्राम वैशाखी, थाना- हरदिया, थाना- ओपी सराय, जिला-सीवान।
15. रामदुलार वर्मा, पिता जगरनाथ प्रसाद, निवासी ग्राम व थाना- सतवार, थाना- जीबी नगर (तरवारा), जिला- सीवान
16. आशा देवी, पति राज किशोर सिंह, निवासी ग्राम- बाजितपुर, पोस्ट- गोरियाकोठी, थाना- गोरियाकोठी, जिला सीवान.
17. उर्मिला देव, पति त्रिभुवन सिंह, निवासी ग्राम- सिकटिया, थाना- किशुनपुरा, थाना- जामो, जिला-सिवान।
18. ब्रजेश कुमार राय उर्फ ब्रजेश कुमार सिंह, पिता राजेंद्र राय, निवासी ग्राम एवं पोस्ट- जगदीशपुर, थाना-सिसवान, जिला-सीवान।
19. फजले अली, पिता जमालुद्दीन अहमद, सदस्य जिला परिषद, सीवान, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद के माध्यम से।
20. उर्मिला देवी, पति धुरेन्द्र मांझी, सदस्य जिला परिषद, सीवान, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद के माध्यम से।
21. सिंधु देवी, पति स्वामीनाथ साह, सदस्य जिला परिषद, सीवान, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद के माध्यम से।
22. बेबी देवी, पति ज्योतिष कुमार, सदस्य जिला परिषद, सीवान, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद के माध्यम से।
23. उषा देवी, पति विद्यासागर बैठा, सदस्य जिला परिषद, सीवान। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद के माध्यम से।
24. हारुनी महतो, पिता सुकुन महतो, सदस्य जिला परिषद, सीवान, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद के माध्यम से।
25. बबीता देवी, पति मुकेश यादव, सदस्य जिला परिषद, सीवान, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद के माध्यम से।
26. प्रमोद कुमार, पिता पृथ्वीराज गुप्ता, सदस्य जिला परिषद, सीवान, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद के माध्यम से।
27. उमेश कुमार, पिता परमेश्वर मांझी, सदस्य जिला परिषद, सीवान, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद के माध्यम से।

28. विनोद कुमार सिंह, पिता नयन प्रसाद सिंह, सदस्य जिला परिषद, सीवान, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद के माध्यम से।
29. सुशील कुमार, पिता भुनेश्वर राय, सदस्य जिला परिषद, सीवान, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद के माध्यम से।
30. बबीता देवी, पति मोमेंद्र राय, सदस्य जिला परिषद, सीवान, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद के माध्यम से।
31. धर्मेन्द्र कुमार यादव, पिता गौरी शंकर यादव, सदस्य जिला परिषद, सीवान, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद के माध्यम से।
32. नगीना यादव, पिता भगरासन यादव, सदस्य जिला परिषद, सीवान, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद के माध्यम से।
33. छोटेलाल यादव, पिता कामेश यादव, सदस्य जिला परिषद, सीवान, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद के माध्यम से।
34. रीना देवी, पति अवध बिहारी सिंह, सदस्य जिला परिषद, सीवान, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद के माध्यम से।
35. अरविंद कुमार यादव, पिता राजेश कुमार यादव, सदस्य जिला परिषद, सीवान, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद के माध्यम से।
36. मंजू देवी, पति जग्गू यादव, सदस्य जिला परिषद, सीवान, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद के माध्यम से।
37. अमृता देवी, पति हरिलाल गुप्ता, सदस्य जिला परिषद, सीवान, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद के माध्यम से।
38. अनीता देवी, पति स्वर्गीय संत अमता राम, जिला परिषद सदस्य, सीवान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद के माध्यम से।
39. शीला देवी, पति धर्मेंद्र कुमार, जिला परिषद सदस्य, सीवान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद के माध्यम से।
40. कहकसा फिरदोश, पति सोनू सेराज अहमद, जिला परिषद सदस्य, सीवान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद के माध्यम से।
41. शायमा सुहैल, पति मोहम्मद सुहैल, जिला परिषद सदस्य, सीवान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद के माध्यम से।
42. बंदना देवी, पति हेमंत सिंह कुशवाहा, जिला परिषद सदस्य, सीवान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद के माध्यम से।

43. मनोज बैठा, पिता विश्वनाथ बैठा, जिला परिषद सदस्य, सीवान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद के माध्यम से।
44. चंद्रिका राम, पिता इन्नार राम, जिला परिषद सदस्य, सीवान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद के माध्यम से।
45. मोहम्मद हनीफ, पिता शाहमुद्दीन मिया, जिला परिषद सदस्य, सीवान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद के माध्यम से।
46. रेणु यादव, पति जयमंगल यादव, जिला परिषद सदस्य, सीवान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद के माध्यम से।

.....प्रतिवादी/प्रतिवादी

==========

साथ में

दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 1439/2024

में

लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 146/2024

==========

1. रमावती देवी पति बैरिस्टर चौधरी, निवासी ग्राम-बरारी जगदीश, थाना-थावे, जिला-गोपालगंज।
2. आबिदा खातून पति मो. सोहराब, निवासी ग्राम- फतहा, थाना- गोपालगंज, जिला-गोपालगंज, बिहार।

.....अपीलकर्ता/गण

बनाम

1. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, पटना
3. जिलाधिकारी, गोपालगंज।
4. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी, प्रखण्ड पंचायत समिति, थावे, जिला- गोपालगंज।
5. बिहार राज्य चुनाव आयोग चुनाव के माध्यम से आयुक्त, बिहार, पटना।
6. निदेशक, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, पटना।
7. अनुमण्डल पदाधिकारी, थावे, जिला-गोपालगंज।

8. किरण देवी, पति विनय प्रताप सिंह, सदस्य, प्रखंड पंचायत समिति, थावे, निवासी ग्राम- भुसाओ, थाना- थावे, जिला- गोपालगंज।
9. शबीना खातून, फिरोज अहमद, सदस्य, प्रखंड पंचायत समिति, थावे, निवासी ग्राम- इन्दरवा बैरम, थाना-गोपालगंज, जिला गोपालगंज।
10. सविता देवी, पति ओम प्रकाश मांझी, सदस्य, प्रखंड पंचायत समिति, थावे, निवासी ग्राम- लछवार, थाना- थावे, जिला- गोपालगंज।
11. फैज़ अख्तर, पिता इलियास अहमद, सदस्य, प्रखंड पंचायत समिति, थावे, ग्राम- जगमलवा, थाना-थावे, जिला-गोपालगंज के निवासी।
12. अफसाना प्रवीण, पति स्वर्गीय सरफराज अहमद, निवासी ग्राम-बगहां, सईदा, थाना- थावे, जिला-गोपालगंज।

.....प्रतिवादी/ओं

==========

के साथ

दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 1507/2024

==========

रिंकू देवी पति दिनकर चौधरी, निवासी ग्राम- सिंघिया मकनपुर, वार्ड नं. 5, थाना- गोपालपुर, नौगछिया, जिला-भागलपुर, बिहार-853204।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
2. प्रधान सचिव, पंचायत राज विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. निदेशक, पंचायत राज विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. जिला मजिस्ट्रेट, भागलपुर।
5. अनुमंडल पदाधिकारी, गोपालपुर, जिला-भागलपुर।
6. प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोपालपुर सह कार्यपालक पदाधिकारी, प्रखंड पंचायत समिति, गोपालपुर, जिला-भागलपुर।
7. बाबूमणि यादव, पिता भरत यादव, सदस्य प्रखंड पंचायत समिति, गोपालपुर, प्रखंड विकास पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी, प्रखंड पंचायत समिति, गोपालपुर, थाना- गोपालपुर, जिला- भागलपुर के माध्यम से।

8. माला देवी, पति उमेश सिंह, सदस्य प्रखंड पंचायत समिति, गोपालपुर, प्रखंड विकास पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी, प्रखंड पंचायत समिति, गोपालपुर, थाना- गोपालपुर, जिला-भागलपुर के माध्यम से।
9. धनंजय सिंह, पिता अज्ञात, सदस्य प्रखंड पंचायत समिति, गोपालपुर, प्रखंड विकास पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी, प्रखंड पंचायत समिति, गोपालपुर, थाना- गोपालपुर, जिला-भागलपुर के माध्यम से।
10. दीपक कुमार, पिता अखिलेश्वर प्रसाद शर्मा, सदस्य प्रखंड पंचायत समिति, गोपालपुर, प्रखंड विकास पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी, प्रखंड पंचायत समिति, गोपालपुर, थाना- गोपालपुर, जिला-भागलपुर के माध्यम से।
11. मनोज कुमार दास, पिता नारायण रवि दास, सदस्य प्रखंड पंचायत समिति, गोपालपुर, प्रखंड विकास पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी, प्रखंड पंचायत समिति, गोपालपुर, थाना- गोपालपुर, जिला-भागलपुर के माध्यम से।
12. मो. तेतर, पिता मो. कमरुद्दीन, सदस्य प्रखंड पंचायत समिति, गोपालपुर, प्रखंड विकास पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी, प्रखंड पंचायत समिति, गोपालपुर, थाना- गोपालपुर, जिला-भागलपुर के माध्यम से।
13. धनंजय कुमार, पिता- नरेश यादव, प्रखंड पंचायत सदस्य समिति, गोपालपुर, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सह कार्यपालक के माध्यम से पदाधिकारी, प्रखंड पंचायत समिति, गोपालपुर, पं.स. गोपालपुर, जिला-भागलपुर.
14. मनोज झा, पिता जय भादर झा, प्रखंड पंचायत समिति सदस्य, गोपालपुर, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी के माध्यम से प्रखंड पंचायत समिति, गोपालपुर, पं.स. गोपालपुर, जिला-भागलपुर।
15. अन्नू कुमारी, पति पवन कुमार, प्रखंड पंचायत समिति सदस्य, गोपालपुर, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी के माध्यम से प्रखंड पंचायत समिति, गोपालपुर, पं.स. गोपालपुर, जिला-भागलपुर।
16. रागनी देवी, पति साकेत बिहारी, प्रखंड पंचायत समिति सदस्य, गोपालपुर, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी के माध्यम से प्रखंड पंचायत समिति, गोपालपुर, पं.स. गोपालपुर, जिला-भागलपुर।
17. राज्य निर्वाचन आयोग पटना अपने सचिव के माध्यम से।

.....प्रतिवादी/ओं

==========

साथ

दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 1521/2024

==========

1. शीला देवी उर्फ शीला कुमारी, पिता श्री शशि रंजन कुमार, निवासी ग्राम- कल्हुआ उर्फ कोल्हुआ, पोस्ट- कोल्हुआ, थाना- सहाजितपुर, जिला- सारण छपरा, प्रखंड पंचायत समिति, बनियापुर के निर्वाचित सदस्य, पोस्ट और थाना- बनियापुर, जिला- सारण, छपरा।
2. भगवान राय, पिता गरीबा राय, निवासी ग्राम- रजौली, थाना. बेरुई, थाना- बनियापुर, जिला- सारण, छपरा। प्रखंड पंचायत समिति, बनियापुर के निर्वाचित सदस्य, पोस्ट और थाना- बनियापुर, जिला- सारण, छपरा।
3. मोख्तार राय, पिता भैरव राय, निवासी ग्राम- धौरी, पोस्ट- सरमी, थाना- सहाजितपुर, जिला- सारण, छपरा। प्रखंड पंचायत समिति, बनियापुर, प्र.आ. के निर्वाचित सदस्य। और थाना- बनियापुर, जिला- सारण,छपरा।
4. गुलाब ठाकुर, पिता गुदरी ठाकुर, निवासी ग्राम- श्रीपुर, पोस्ट- मारीचा, थाना- सहाजितपुर, जिला- सारण, छपरा। प्रखंड पंचायत समिति, बनियापुर, प्र.आ. के निर्वाचित सदस्य और थाना- बनियापुर, जिला- सारण, छपरा।
5. पिंटू कुमार पंडित, पिता महंथ पंडित, निवासी ग्राम व पो.- पिपरा, थाना- सहाजितपुर, जिला- सारण, छपरा के निर्वाचित सदस्य प्रखंड पंचायत समिति, बनियापुर, पोस्ट और थाना- बनियापुर, जिला-सारण छपरा
6. संतोष राय, पिता पंचम राय, निवासी ग्राम-इब्राहिमपुर, पोस्ट- हरपुर, थाना- बनियापुर, जिला- सारण, छपरा के निर्वाचित सदस्य प्रखंड पंचायत समिति, बनियापुर, पोस्ट और थाना- बनियापुर, जिला-सारण छपरा
7. पवन कुमार, पिता ओम प्रकाश शर्मा, निवासी ग्राम- भूमिहारा, पोस्ट- हरपुर, थाना- बनियापुर, जिला- सारण, छपरा। निर्वाचित सदस्य, प्रखंड पंचायत समिति, बनियापुर, पोस्ट और थाना- बनियापुर, जिला-सारण, छपरा
8. अनिल कुमार शर्मा, पिता रामेश्वर शर्मा, निवासी ग्राम- कट्सा, पोस्ट- मदारपुर, थाना- सहाजितपुर, जिला- सारण, छपरा, प्रखंड पंचायत समिति, बनियापुर के निर्वाचित सदस्य, पोस्ट और थाना- बनियापुर, जिला-सारण छपरा

9. रामावती देवी, पति मनिन्द्र महतो, ग्राम-छपियाँ, पोस्ट- इसुआपुर, थाना- बनियापुर, जिला- सारण, छपरा। निर्वाचित सदस्य प्रखंड पंचायत समिति, बनियापुर, पोस्ट और थाना- बनियापुर, जिला-सारण छपरा।
10. सरिता देवी, पति जनक कुमार सिंह, ग्राम व पो. भिठ्ठी सहाबुद्दीन, थाना- बनियापुर, जिला-सारण, छपरा। निर्वाचित सदस्य प्रखंड पंचायत समिति, बनियापुर, पोस्ट और थाना- बनियापुर, जिला-सारण छपरा।
11. उर्मिला देवी, पति विकास कुमार ठाकुर, निवासी ग्राम-खबसा, पोस्ट- खब्सी, थाना- बनियापुर, जिला- सारण, छपरा। निर्वाचित सदस्य, प्रखंड पंचायत समिति, बनियापुर, पोस्ट और थाना- बनियापुर, जिला-सारण छपरा।
12. पुनकली देवी, पति बिन्ध्याचल साह, निवासी ग्राम व पो. लौबाकला, थाना- बनियापुर, जिला-सारण, छपरा के निर्वाचित सदस्य प्रखंड पंचायत समिति, बनियापुर, पोस्ट और थाना- बनियापुर, जिला-सारण छपरा।
13. भैरव पाण्डे, पिता जनार्दन पाण्डे, निवासी ग्राम व पो. उस्ति, थाना- बनियापुर, जिला- सारण, छपरा, निर्वाचित सदस्य प्रखंड पंचायत समिति, बनियापुर, पोस्ट और थाना- बनियापुर, जिला-सारण छपरा।
14. उमरावती देवी, पति अमरदेव कुमार पंडित, निवासी ग्राम व पो. पिपरपाती, थाना- सहाजितपुर, जिला-सारण, छपरा के निर्वाचित सदस्य प्रखंड पंचायत समिति, बनियापुर, पोस्ट और थाना- बनियापुर, जिला-सारण छपरा।
15. गायत्री देवी, पति मुरारी कुमार सिंह, निवासी ग्राम-कराह, पोस्ट- हरपुर, थाना- बनियापुर, जिला- सारण, छपरा के निर्वाचित सदस्य प्रखंड पंचायत समिति, बनियापुर, पोस्ट और थाना- बनियापुर, जिला-सारण छपरा।
16. निर्मला देवी, पति राज कुमार साह, निवासी ग्राम- रामधनाव पोस्ट- धनाव, थाना- बनियापुर, जिला- सारण, छपरा। निर्वाचित सदस्य, प्रखंड पंचायत समिति, बनियापुर, पोस्ट और थाना- बनियापुर, जिला-सारण छपरा।
17. आरती देवी, पति भुअर राम, निवासी ग्राम- भुसांव, पोस्ट- हरिहरपुर, थाना- बनियापुर, जिला- सारण, छपरा, निर्वाचित सदस्य प्रखंड पंचायत समिति, बनियापुर, पोस्ट और थाना- बनियापुर, जिला-सारण छपरा।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।

2. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, शासन बिहार, पटना.
3. जिला मजिस्ट्रेट, सारण, छपरा, जिला-सारण, छपरा।
4. पुलिस अधीक्षक, सारण, छपरा, जिला-सारण, छपरा।
5. जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सारण, छपरा, जिला-सारण छपरा
6. अनुमण्डल पदाधिकारी, छपरा सदर, जिला-सारण, छपरा।
7. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-कार्यपालक पदाधिकारी, प्रखण्ड पंचायत समिति, बनियापुर, जिला-सारण,छपरा।
8. प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, बनियापुर, जिला-सारण, छपरा।
9. थानाध्यक्ष, बनियापुर, जिला-सारण, छपरा।
10. श्रीमती मंजूषा ओझा, पति श्री मणि भूषण ओझा, वर्तमान में प्रमुख प्रखंड पंचायत समिति, बनियापुर, पोस्ट और थाना- बनियापुर, जिला-सारण, छपरा
11. श्री दिवाकर कुमार तिवारी, पिता जो याचिकाकर्ताओं को ज्ञात नहीं है, वर्तमान में उप-प्रमुख, ब्लॉक पंचायत समिति, बनियापुर, पोस्ट एवं थाना- बनियापुर, जिला - सारण, छपरा।
12. मणि भूषण दुबे, पिता जो याचिकाकर्ताओं को ज्ञात नहीं है, ब्लॉक विकास अधिकारी-सह-कार्यकारी अधिकारी, ब्लॉक पंचायत समिति, बनियापुर, पोस्ट एवं थाना- बनियापुर, जिला- सारण के माध्यम से छपरा में ब्लॉक पंचायत समिति, बनियापुर के निर्वाचित सदस्य।
13. अशोक कुमार गुप्ता, पिता जो याचिकाकर्ताओं को ज्ञात नहीं है, ब्लॉक विकास अधिकारी-सह-कार्यकारी अधिकारी, ब्लॉक पंचायत समिति, बनियापुर, पोस्ट एवं थाना- बनियापुर, जिला- सारण के माध्यम से छपरा में ब्लॉक पंचायत समिति, बनियापुर के निर्वाचित सदस्य।
14. त्रिभुवन साह, पिता जो याचिकाकर्ताओं को ज्ञात नहीं है, ब्लॉक विकास अधिकारी-सह-कार्यकारी अधिकारी, ब्लॉक पंचायत समिति, बनियापुर, पोस्ट एवं थाना- बनियापुर, जिला- सारण के माध्यम से छपरा में ब्लॉक पंचायत समिति, बनियापुर के निर्वाचित सदस्य।
15. ब्रज नंदन प्रसाद, पिता जो याचिकाकर्ताओं को ज्ञात नहीं है, ब्लॉक विकास अधिकारी-सह-कार्यकारी अधिकारी, ब्लॉक पंचायत समिति, बनियापुर, पोस्ट एवं थाना- बनियापुर, जिला- सारण के माध्यम से छपरा में ब्लॉक पंचायत समिति, बनियापुर के निर्वाचित सदस्य।

16. उत्तम कुमार सिंह, पिता जो याचिकाकर्ताओं को ज्ञात नहीं है, ब्लॉक विकास अधिकारी-सह-कार्यकारी अधिकारी, ब्लॉक पंचायत समिति, बनियापुर, पोस्ट एवं थाना-बनियापुर, जिला- सारण के माध्यम से छपरा में ब्लॉक पंचायत समिति, बनियापुर के निर्वाचित सदस्य।

17. राज कुमार राम, पिता जो याचिकाकर्ताओं को ज्ञात नहीं है, ब्लॉक विकास अधिकारी-सह-कार्यकारी अधिकारी, ब्लॉक पंचायत समिति, बनियापुर, पोस्ट एवं थाना-बनियापुर, जिला- सारण के माध्यम से छपरा में ब्लॉक पंचायत समिति, बनियापुर के निर्वाचित सदस्य।

18. नीतीश कुमार प्रसाद, पिता जो याचिकाकर्ताओं को ज्ञात नहीं है, ब्लॉक विकास अधिकारी-सह-कार्यकारी अधिकारी, ब्लॉक पंचायत समिति, बनियापुर, पोस्ट एवं थाना-बनियापुर, जिला- सारण के माध्यम से छपरा में ब्लॉक पंचायत समिति, बनियापुर के निर्वाचित सदस्य।

19. परमशीला देवी, पति जो याचिकाकर्ताओं को ज्ञात नहीं है, ब्लॉक विकास अधिकारी-सह-कार्यकारी अधिकारी, ब्लॉक पंचायत समिति, बनियापुर, पोस्ट एवं थाना-बनियापुर, जिला- सारण के माध्यम से छपरा में ब्लॉक पंचायत समिति, बनियापुर के निर्वाचित सदस्य।

20. सुथारी देवी, पति जिन्हें याचिकाकर्ता नहीं जानते, ब्लॉक विकास अधिकारी-सह-कार्यकारी अधिकारी, ब्लॉक पंचायत समिति, बनियापुर, पोस्ट एवं थाना बनियापुर, जिला- सारण के माध्यम से ब्लॉक पंचायत समिति, बनियापुर के निर्वाचित सदस्य छपरा में।

21. भागमनी देवी, पति राजदेव राम, ब्लॉक विकास अधिकारी-सह-कार्यकारी अधिकारी, ब्लॉक पंचायत समिति, बनियापुर, पोस्ट एवं थाना बनियापुर, जिला- सारण के माध्यम से ब्लॉक पंचायत समिति, बनियापुर के निर्वाचित सदस्य छपरा में।

22. जुलेखा प्रवीण, पति जिन्हें याचिकाकर्ता नहीं जानते, ब्लॉक विकास अधिकारी-सह-कार्यकारी अधिकारी, ब्लॉक पंचायत समिति, बनियापुर, पोस्ट एवं थाना बनियापुर, जिला- सारण के माध्यम से ब्लॉक पंचायत समिति, बनियापुर के निर्वाचित सदस्य छपरा में।

23. बेबी खातून, पति जो याचिकाकर्ताओं को ज्ञात नहीं है, ब्लॉक विकास अधिकारी-सह-कार्यकारी अधिकारी, ब्लॉक पंचायत समिति, बनियापुर, पोस्ट एवं थाना बनियापुर,

जिला- सारण के माध्यम से छपरा में ब्लॉक पंचायत समिति, बनियापुर के निर्वाचित सदस्य।

24. अनीता देवी, पति जो याचिकाकर्ताओं को ज्ञात नहीं है, ब्लॉक विकास अधिकारी-सह-कार्यकारी अधिकारी, ब्लॉक पंचायत समिति, बनियापुर, पोस्ट एवं थाना बनियापुर, जिला- सारण के माध्यम से छपरा में ब्लॉक पंचायत समिति, बनियापुर के निर्वाचित सदस्य।

25. धनिता देवी, पति जो याचिकाकर्ताओं को ज्ञात नहीं है, ब्लॉक विकास अधिकारी-सह-कार्यकारी अधिकारी, ब्लॉक पंचायत समिति, बनियापुर, पोस्ट एवं थाना बनियापुर, जिला- सारण के माध्यम से छपरा में ब्लॉक पंचायत समिति, बनियापुर के निर्वाचित सदस्य।

26. उषा देवी, पति जो याचिकाकर्ताओं को ज्ञात नहीं है, ब्लॉक विकास अधिकारी-सह-कार्यकारी अधिकारी, ब्लॉक पंचायत समिति, बनियापुर, पोस्ट एवं थाना बनियापुर, जिला- सारण के माध्यम से छपरा में ब्लॉक पंचायत समिति, बनियापुर के निर्वाचित सदस्य।

27. श्योरातो देवी, पति जो याचिकाकर्ताओं को ज्ञात नहीं है, ब्लॉक विकास अधिकारी-सह-कार्यकारी अधिकारी, ब्लॉक पंचायत समिति, बनियापुर, पोस्ट एवं थाना बनियापुर, जिला- सारण के माध्यम से छपरा में ब्लॉक पंचायत समिति, बनियापुर के निर्वाचित सदस्य।

.....प्रतिवादी/प्रतिवादी

==========

साथ

दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 1851/2024

==========

1. नसीरुद्दीन पिता स्वर्गीय लतीफुर्रहमान, निवासी ग्राम-सिकोरना पूरब टोला, पोस्ट-झावा, थाना- कदवा, जिला-कटिहार। जिला के निर्वाचित सदस्य परिषद, कटिहार, पोस्ट और थाना- कटिहार, जिला-कटिहार।

2. मोहम्मद शाहिद अख्तर, एसके के पिता, अमानतुल्लाह, निवासी ग्राम व पो. हसनगंज, थाना- हसनगंज, जिला-कटिहार। जिला के निर्वाचित सदस्य परिषद, कटिहार, पोस्ट और थाना- कटिहार, जिला-कटिहार।

3. अब्दुस सलाम, पिता अब्दुल हफीज, निवासी ग्राम-हरिहरपुर, पोस्ट- सालमारी, थाना- आजम नगर, जिला-कटिहार। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य, कटिहार, पोस्ट और थाना- कटिहार, जिला- कटिहार।
4. मसूद खातून, पति स्वर्गीय फिरोज अहमद, निवासी ग्राम-जोकर, पो.- पलसा, थाना- आजम नगर, जिला-कटिहार। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य, कटिहार, पोस्ट- और थाना- कटिहार, जिला-कटिहार।
5. सईदुम निशा, पत्नी मो. मुस्तफा, निवासी ग्राम-शाहनगर, पोस्ट- गौरीपुर, थाना- प्राणपुर, जिला-कटिहार। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य, कटिहार, पोस्ट- और थाना- कटिहार, जिला-कटिहार।
6. अंजुम आरा, पति मंजूर आलम, निवासी ग्राम-गरभेली, पो.- कटिहार, थाना- कटिहार, जिला-कटिहार। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य, कटिहार, पोस्ट और थाना- कटिहार, जिला-कटिहार।
7. शबाना प्रवीण पत्नी शारिक अहमद खान, निवासी ग्राम-काबर, पोस्ट- काबर, थाना- बरारी, जिला-कटिहार। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य, कटिहार, पोस्ट- और थाना- कटिहार, जिला-कटिहार।
8. मनव्वर इमाम उर्फ मवार आलम, पिता अशमुल, निवासी ग्रामसिंघौल, पो. सिकटिया, पं.स. आजम नगर, जिला-कटिहार का सदस्य निर्वाचित जिला परिषद, कटिहार, पोस्ट और थाना- कटिहार, जिला-कटिहार।
9. निर्मला कुमारी, पति प्रताप कुमार मंडल, निवासी ग्राम-मेघु टोला, पो. गोपालपुर दियारा, थाना- अमदाबाद जिला- कटिहार. जिला परिषद, कटिहार के निर्वाचित सदस्य, पोस्ट और थाना- कटिहार, जिला-कटिहार।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से
2. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, शासन बिहार, पटना
3. जिलाधिकारी, कटिहार, जिला-कटिहार।
4. उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, कटिहार, जिला-कटिहार।
5. श्रीमती याचिकाकर्ता की पत्नी रश्मी सिंह, वर्तमान में अध्यक्ष, जिला परिषद, कटिहार, पोस्ट एवं थाना कटिहार, जिला-कटिहार।

6. श्रीमती याचिकाकर्ता की अज्ञात पत्नी इशरत प्रवीण, वर्तमान में उपअध्यक्ष, जिला परिषद, कटिहार, पोस्ट एवं थाना कटिहार, जिला-कटिहार।
7. याचिकाकर्ता की अज्ञात पत्नी गायत्री कुमारी जिला सदस्य चुनी गयीं उप विकास आयुक्त सह के माध्यम से परिषद्, कटिहार मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, कटिहार, पोस्ट एवं थाना कटिहार, जिला-कटिहार।
8. रीता साह, पति जो याचिकाकर्ता को नहीं जानती, उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, कटिहार, पोस्ट एवं थाना- कटिहार, जिला-कटिहार के माध्यम से जिला परिषद, कटिहार की निर्वाचित सदस्य।
9. वंदना कुमारी, पति जो याचिकाकर्ता को नहीं जानती, उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, कटिहार, पोस्ट एवं थाना कटिहार, जिला-कटिहार के माध्यम से जिला परिषद, कटिहार की निर्वाचित सदस्य।
10. जमीला खातून, पति जो याचिकाकर्ता को नहीं जानती, उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, कटिहार, पोस्ट एवं थाना कटिहार, जिला-कटिहार के माध्यम से जिला परिषद, कटिहार की निर्वाचित सदस्य।
11. कोमल कुमारी, पत्नी जो याचिकाकर्ता को नहीं जानती, उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, कटिहार, पोस्ट एवं थाना कटिहार, जिला-कटिहार के माध्यम से जिला परिषद, कटिहार की निर्वाचित सदस्य।
12. उमेश कुमार यादव, पिता जो याचिकाकर्ता को नहीं जानती, उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, कटिहार, पोस्ट एवं थाना कटिहार, जिला-कटिहार के माध्यम से जिला परिषद, कटिहार की निर्वाचित सदस्य।
13. गुणसागर पासवान, पिता जो याचिकाकर्ता को नहीं जानती, उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, कटिहार, पोस्ट एवं थाना कटिहार, जिला-कटिहार के माध्यम से जिला परिषद, कटिहार की निर्वाचित सदस्य।
14. प्रियंका देवी, पति जो याचिकाकर्ता को नहीं जानती, उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, कटिहार, पोस्ट एवं थाना कटिहार, जिला-कटिहार के माध्यम से जिला परिषद, कटिहार की निर्वाचित सदस्य।
15. सुमति देवी, पति जो याचिकाकर्ता को नहीं जानती, उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, कटिहार, पोस्ट एवं थाना कटिहार, जिला-कटिहार के माध्यम से जिला परिषद, कटिहार की निर्वाचित सदस्य।

16. फुलमनी हेंब्रम, पति जो याचिकाकर्ता को नहीं जानती, उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, कटिहार, पोस्ट एवं थाना कटिहार, जिला-कटिहार के माध्यम से जिला परिषद, कटिहार की निर्वाचित सदस्य।
17. जहान आरा बेगम, पति जो याचिकाकर्ता को नहीं जानती, उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, कटिहार, पोस्ट एवं थाना कटिहार, जिला-कटिहार के माध्यम से जिला परिषद, कटिहार की निर्वाचित सदस्य।
18. मुकेश कुमार, पिता जो याचिकाकर्ता को नहीं जानती, उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, कटिहार, पोस्ट एवं थाना कटिहार, जिला-कटिहार के माध्यम से जिला परिषद, कटिहार की निर्वाचित सदस्य।
19. आशा सुमन, पत्नी जो याचिकाकर्ता को नहीं जानती, उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, कटिहार, पोस्ट एवं थाना कटिहार, जिला-कटिहार के माध्यम से जिला परिषद, कटिहार की निर्वाचित सदस्य।
20. मो. मुदस्सिर, पिता जो याचिकाकर्ता को नहीं जानते, उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, कटिहार, पोस्ट एवं थाना कटिहार, जिला-कटिहार के माध्यम से जिला परिषद, कटिहार के निर्वाचित सदस्य।
21. अशोक सिंह, पिता जो याचिकाकर्ता को नहीं जानते, उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, कटिहार, पोस्ट एवं थाना कटिहार, जिला-कटिहार के माध्यम से जिला परिषद, कटिहार के निर्वाचित सदस्य।
22. निजामुद्दीन पिता जो याचिकाकर्ता को नहीं जानते, उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, कटिहार, पोस्ट एवं थाना कटिहार, जिला-कटिहार के माध्यम से जिला परिषद, कटिहार के निर्वाचित सदस्य।
23. कुदरतून निशा, पति जो याचिकाकर्ता को नहीं जानती, उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, कटिहार, पोस्ट एवं थाना कटिहार, जिला-कटिहार के माध्यम से जिला परिषद, कटिहार की निर्वाचित सदस्य।
24. अब्दुल हसन, पिता जो याचिकाकर्ता को नहीं जानती, उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, कटिहार, पोस्ट एवं थाना कटिहार, जिला-कटिहार के माध्यम से जिला परिषद, कटिहार की निर्वाचित सदस्य।
25. तबस्सुम प्रवीण, पति जो याचिकाकर्ता को नहीं जानती, उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, कटिहार, पोस्ट एवं थाना कटिहार, जिला-कटिहार के माध्यम से जिला परिषद, कटिहार की निर्वाचित सदस्य।

26. मो. गुलजार, पिता जो याचिकाकर्ता को नहीं जानते, उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला परिषद, कटिहार, पोस्ट एवं थाना कटिहार, जिला-कटिहार के माध्यम से जिला परिषद, कटिहार के निर्वाचित सदस्य।
27. मसूद बेगम, पति जो याचिकाकर्ता को नहीं जानते, उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला परिषद, कटिहार, पोस्ट एवं थाना कटिहार, जिला-कटिहार के माध्यम से जिला परिषद, कटिहार के निर्वाचित सदस्य।
28. नजामुल हक, पिता जो याचिकाकर्ता को नहीं जानते, उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला परिषद, कटिहार, पोस्ट एवं थाना कटिहार, जिला-कटिहार के माध्यम से जिला परिषद, कटिहार के निर्वाचित सदस्य।

.....प्रतिवादी/प्रतिवादी

==========

के साथ

दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 2516/2024

==========

फूला जहान बेगम पति महफूज आलम, सदस्य पंचायत समिति पंचायत, मकिमपुर, निवासी मुकिमपुर, पोस्ट और थाना- गरखा, जिला- सारण।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायत राज के माध्यम से बिहार राज्य विभाग, बिहार सरकार, पटना।
2. जिलाधिकारी, सारण।
3. जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सारण।
4. अनुमण्डल पदाधिकारी, छपरा, सारण।
5. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सह कार्यपालक दंडाधिकारी गरखा, सारण।
6. श्रीमती रेनी देवी, हरेंद्र महतो की पत्नी, पंचायत समिति सदस्य, महमदा, क्षेत्र 6, निवासी महमदा, थाना-गरखा, जिला सारण।
7. सुनैना देवी, पति कृष्णा सिंह, सदस्य पंचायत समिति, पंचायत महमदपुर, क्षेत्र-15, निवासी महमदपुर, थाना गरखा, जिला- सारण.
8. उषा देवी पति देवनारायण राय, सदस्य पंचायत समिति, पंचायत- मोतीराजपुर, क्षेत्र-1, निवासी पथरा, डाकघर- रसीदपुर, थाना- गरखा, जिला- सारण.

9. तासीरन बीबी, पति नियामत अली, सदस्य पंचायत समिति, पंचायत, मोतीराजपुर, क्षेत्र-2, निवासी मोतीराजपुर, डाकघर- सैय्यद सराय, थाना- गरखा, जिला- सारण.
10. रीता देवी, पति रंजीत कुमार राय, पंचायत समिति सदस्य, पंचायत साधपुर, क्षेत्र-3, निवासी साधपुर, थाना-गरखा, जिला- सारण.
11. गीता देवी, जय प्रकाश सिंह, पंचायत समिति सदस्य, पंचायत फेरुसा, क्षेत्र-4, बेलबनियां निवासी, थाना-गरखा, जिला- सारण.
12. कौशिल्या देवी, पति प्रमोद कुमार राय, पंचायत समिति सदस्य, पंचायत फेरुसा, क्षेत्र-5, निवासी पहाड़पुर, थाना- गरखा, जिला- सारण
13. लोकनाथ साह, पिता बाल चंद साह, पंचायत समिति सदस्य, पंचायत पिरौना (धागा), निवासी पवरौना, थाना-गरखा, जिला-सारण।
14. लक्ष्मीना देवी, पति सैनिक राय, सदस्य पंचायत समिति, पंचायतपेरौना, क्षेत्र-8, निवासी सरबडीह, डाकघर-पिरौना, थाना गरखा, जिला-सारण।
15. आशा देवी, पति राजा, सदस्य पंचायत समिति, पंचायत- सरगट्टी, क्षेत्र-9, निवासी अलोनी, डाकघर व थाना गरखा, जिला सारण।
16. बबीता देवी, पति अनिल राम, सदस्य पंचायत समिति, पंचायत बाजितपुर, क्षेत्र-11, निवासी बाजितपुर, थाना-गरखा, जिला सारण.
17. प्रीति देवी, पति टुन्ने प्रसाद, सदस्य पंचायत समिति, पंचायत गरखजा, क्षेत्र-12, निवासी गरखा, डाकघर व थाना गरखा, जिला-सारण।
18. मुकेश कुमार सिंह, पिता खुद रामजी सिंह, पंचायत सदस्य समिति, पंचायत- गरखा, क्षेत्र-13, गरखा निवासी, डाकघर एवं थाना- गरखा, जिला- सारण।
19. बबीता देवी, पति दुलार चंद कुमार महतो, पंचायत सदस्य समिति, पंचायत- तुईठेपुर, क्षेत्र-14, निवासी, ठुइठेपुर, डाकघर एवं थाना- गरखा, जिला- सारण।
20. बब्लू कुमार राय, पति राजेंद्र राय, पंचायत समिति सदस्य, पंचायत- महमदपुर, क्षेत्र-16, महमदपुर निवासी, थाना- गरखा, जिला- सारण.
21. धर्मेन्द्र राय पिता जय मंगल राय, सदस्य पंचायत समिति, पंचायत- हसनपुरा, क्षेत्र-17, कुचा निवासी, थाना-गरखा, जिला- सारण.
22. ममता कुमारी, पति संतोष कुमार सिंह, पंचायत समिति सदस्य, पंचायत हसनपुरा, क्षेत्र-18, निवासी पिंडारी, डाकघर गोपुर, थाना- गरखा, जिला- सारण।
23. नीली देवी, पति राजेश कुमार सिंह, पंचायत समिति सदस्य, पंचायत- मीरपुर जुआरा, क्षेत्र- 19, मीरपुर जुआरा निवासी, थाना-अवतारनगर, जिला-सारण

24. कांति देवी, पति सत्यदेव कुमार सिंह, पंचायत समिति सदस्य, पंचायत- कोठिया, क्षेत्र-20, निवासी मीरपुर जुआरा, थाना- अवतारनगर, जिला-सारण.
25. अभय कुमार सिंह पिता उग्रसेन सिंह, सदस्य पंचायत समिति, पंचायत- कोठिया, क्षेत्र 21, निवासी मदनपुर, थाना- अवतारनगर, जिला-सारण.
26. सविता देवी पति जीतेन्द्र भगत, सदस्य पंचायत समिति, पंचायतरामपुर, क्षेत्र 22, निवासी रामपुर, थाना-गरखा, जिला सारण।
27. किरण देवी पति अजय सिंह, सदस्य पंचायत समिति, पंचायत- इटावां, क्षेत्र-23, निवासी बैकुंठपुर, पोस्ट ऑफिस-रहमानपुर, थाना- गरखा, जिला- सारण
28. जय प्रकाश प्रसाद, पिता नरसिम्हा महतो, पंचायत समिति सदस्य, पंचायत- इटावां, क्षेत्र 24, रहमपुर निवासी, थाना- गरखा, जिला- सारण.
29. सुरेंद्र मांझी, पिता शत्रुधन मांझी, पंचायत समिति सदस्य, पंचायत- कुदरभदा, क्षेत्र- 25, थाना कुदरभदा निवासी गरखा, जिला- सारण।
30. अजीत कुमार, पिता अर्जुन प्रसाद यादव, पंचायत समिति सदस्य, पंचायत- जलाल बसंत, क्षेत्र- 26, निवासी मोहरमपुर, थाना गरखा, जिला- सारण।
31. जय प्रकाश राम, पिता राम प्रवेश राम, सदस्य पंचायत समिति, पंचायत- जलाल बसंत, क्षेत्र- 27. जलाल बसंत निवासी, डाकघर बसंत, थाना-गरखा, जिला-सारण।
32. अखिलेश कुमार पटेल, पिता शत्रुहन सिंह, पंचायत समिति सदस्य, पंचायत- श्रीपाल बसंत, क्षेत्र- 28, श्रीपाल बसंत निवासी, पोस्ट कार्यालय- बसंत, थाना-गरखा, जिला- सारण.
33. दीपक कुमार, पिता जय नंदन राय, पंचायत समिति सदस्य, पंचायत- श्रीपाल बसंत, क्षेत्र- 29, निवासी भुईगांव, थाना गरखा, जिला- सारण।
34. राजेश कुमार मांझी, पिता अर्जुन मांझी, पंचायत समिति सदस्य, पंचायत- मिओरजापुर, क्षेत्र- 31, मनोहर निवासी, थाना गरखा, जिला- सारण।
35. राकेश कुमार, पिता शिव नारायण राय, पंचायत समिति सदस्य, पंचायत- पंचपटिया, क्षेत्र- 32, निवासी छोटा झौआ, थाना अवतारनगर, जिला- सारण।
36. संजीत कुमार पिता श्री महेश्वर सिंह, सदस्य पंचायत समिति, पंचायत- पंचपटिया, क्षेत्र- 33, निवासी-देवरिया, थाना अवतारनगर, जिला- सारण।
37. चन्द्रावती देवी सदस्य पंचायत समिति, पंचायत-नरऊ, क्षेत्र-34, नरऊ निवासी, थाना- अवतारनगर, जिला-सारण।

38. संगीता देवी, पिता जलंधर ठाकुर, पंचायत समिति सदस्य, पंचायत-मौजमपुर, क्षेत्र-35, निवासी मौजमपुर, थाना- अवतारनगर, जिला-सारण.

.....प्रतिवादी/ओं

==========

के साथ

दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 2717/2024

==========

1. पारस कुमार रे, पिता टेकन रे, निवासी ग्राम महम्मदपुर, थाना- कदवा, जिला-कटिहार, बिहार।
2. मोहम्मद मसूद आलम, पिता मोहम्मद मुस्ताक आलम, निवासी ग्राम- बिजहरा, थाना- बलिया नीचे, जिला-कटिहार।
3. परशुराम मंडल पिता धनश्याम मंडल, निवासी निझरा, थाना- कदवा, जिला-कटिहार।
4. मोहित कुमार चौहान पिता दामोदर चौहान निवासी ग्राम कंबारो, थाना. कदाव, जिला-कटिहार

.....याचिकाकर्ता

बनाम

1. अपर मुख्य सचिव विभाग के माध्यम से बिहार राज्य पंचायती राज, बिहार सरकार, पटना।
2. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना।
3. निदेशक, पंचायती राज, पंचायती राज विभाग, भारत सरकार बिहार, विकास भवन, बेली रोड, पटना।
4. समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी, जिला कटिहार।
5. खण्ड विकास अधिकारी सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समिति, कदवा, कटिहार।
6. जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कटिहार।
7. मंटू रविदास, पिता- अज्ञात, पंचायत समिति के सदस्य, प्रखंड विकास पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के माध्यम से, पंचायत समिति, कदवा, कटिहार।
8. शहनाज खातून, पति अज्ञात पंचायत समिति सदस्य, प्रखंड विकास अधिकारी सह मुख्य कार्यपालक अधिकारी, पंचायत समिति, कदवा, कटिहार के माध्यम से।

9. साहिदा बेगम, पति अज्ञात पंचायत समिति सदस्य, प्रखंड विकास अधिकारी सह मुख्य कार्यपालक अधिकारी, पंचायत समिति, कदवा, कटिहार के माध्यम से।
10. इना देवी, पति अज्ञात पंचायत समिति सदस्य, प्रखंड विकास अधिकारी सह मुख्य कार्यपालक अधिकारी, पंचायत समिति, कदवा, कटिहार के माध्यम से।
11. सीमा रानी, पति अज्ञात पंचायत समिति सदस्य, प्रखंड विकास अधिकारी सह मुख्य कार्यपालक अधिकारी, पंचायत समिति, कदवा, कटिहार के माध्यम से।
12. मोहम्मद वसीम, पिता अज्ञात पंचायत समिति सदस्य, प्रखंड विकास अधिकारी सह मुख्य कार्यपालक अधिकारी, पंचायत समिति, कदवा, कटिहार के माध्यम से।
13. मसनारा खातून, पति अज्ञात पंचायत समिति सदस्य, प्रखंड विकास अधिकारी सह मुख्य कार्यपालक अधिकारी, पंचायत समिति, कदवा, कटिहार के माध्यम से।
14. हुस्ने आरा, पति अज्ञात पंचायत समिति सदस्य, प्रखंड विकास अधिकारी सह मुख्य कार्यपालक अधिकारी, पंचायत समिति, कदवा, कटिहार के माध्यम से।
15. महेनूर खातून, पति अज्ञात पंचायत समिति सदस्य, प्रखंड विकास अधिकारी सह मुख्य कार्यपालक अधिकारी, पंचायत समिति, कदवा, कटिहार के माध्यम से।
16. ब्यूटी खातून, पति अज्ञात पंचायत समिति सदस्य, प्रखंड विकास अधिकारी सह मुख्य कार्यपालक अधिकारी, पंचायत समिति, कदवा, कटिहार के माध्यम से।
17. नसेरी खातून, पति अज्ञात पंचायत समिति सदस्य, प्रखंड विकास अधिकारी सह मुख्य कार्यपालक अधिकारी, पंचायत समिति, कदवा, कटिहार के माध्यम से।
18. अफसाना खातून, पति अज्ञात पंचायत समिति सदस्य, प्रखंड विकास अधिकारी सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समिति, कदवा, कटिहार के माध्यम से।
19. रोबिना खातून, पति अज्ञात पंचायत समिति सदस्य, प्रखंड विकास अधिकारी सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समिति, कदवा, कटिहार के माध्यम से।
20. सीता देवी, पति अज्ञात पंचायत समिति सदस्य, प्रखंड विकास अधिकारी सह मुख्य कार्यपालक अधिकारी, पंचायत समिति, कदवा, कटिहार के माध्यम से।
21. कविता देवी, पति अज्ञात पंचायत समिति सदस्य, प्रखंड विकास अधिकारी सह मुख्य कार्यपालक अधिकारी, पंचायत समिति, कदवा, कटिहार के माध्यम से।
22. नहेला खातून, पति अज्ञात पंचायत समिति सदस्य, प्रखंड विकास अधिकारी सह मुख्य कार्यपालक अधिकारी, पंचायत समिति, कदवा, कटिहार के माध्यम से।
23. रोजाना कटून, पति अज्ञात पंचायत समिति सदस्य, प्रखंड विकास अधिकारी सह मुख्य कार्यपालक अधिकारी, पंचायत समिति, कदवा, कटिहार के माध्यम से।

24. मो. कैशर, पिता अज्ञात पंचायत समिति सदस्य, प्रखंड विकास अधिकारी सह मुख्य कार्यपालक अधिकारी, पंचायत समिति, कदवा, कटिहार के माध्यम से।
25. नूरेफा खातून, पति अज्ञात पंचायत समिति सदस्य, प्रखंड विकास अधिकारी सह मुख्य कार्यपालक अधिकारी, पंचायत समिति, कदवा, कटिहार के माध्यम से।
26. चमन यादव, पिता अज्ञात पंचायत समिति सदस्य, प्रखंड विकास अधिकारी सह मुख्य कार्यपालक अधिकारी, पंचायत समिति, कदवा, कटिहार के माध्यम से।
27. दीपनारायण विश्वास, पिता अज्ञात पंचायत समिति सदस्य, प्रखंड विकास अधिकारी सह मुख्य कार्यपालक अधिकारी, पंचायत समिति, कदवा, कटिहार के माध्यम से।
28. रीता देवी, पति अज्ञात पंचायत समिति सदस्य, प्रखंड विकास अधिकारी सह मुख्य कार्यपालक अधिकारी, पंचायत समिति, कदवा, कटिहार के माध्यम से।
29. गीता देवी, पति अज्ञात पंचायत समिति सदस्य, प्रखंड विकास अधिकारी सह मुख्य कार्यपालक अधिकारी, पंचायत समिति, कदवा, कटिहार के माध्यम से।
30. नाहेरा खातून पति, पंचायत समिति के अज्ञात सदस्य, प्रखंड विकास अधिकारी सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समिति, कदवा, कटिहार के माध्यम से।
31. महफूज रहमान पिता- अज्ञात, सदस्य, पंचायत समिति, प्रखंड विकास अधिकारी सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समिति, कदवा, कटिहार के माध्यम से।
32. रंजीत कुमार साह, पिता- अज्ञात, सदस्य, पंचायत समिति, प्रखंड विकास अधिकारी सह मुख्य कार्यपालक अधिकारी, पंचायत समिति, कदवा, कटिहार के माध्यम से।
33. रूपा देवी, पिता- अज्ञात पंचायत समिति सदस्य, प्रखंड विकास अधिकारी सह मुख्य कार्यपालक अधिकारी, पंचायत समिति, कदवा, कटिहार के माध्यम से।
34. तस्लीम, पिता- अज्ञात पंचायत समिति सदस्य, प्रखंड विकास अधिकारी सह मुख्य कार्यपालक अधिकारी, पंचायत समिति, कदवा, कटिहार के माध्यम से।
35. अवधेश कुमार, पिता- अज्ञात पंचायत समिति सदस्य, प्रखंड विकास अधिकारी सह मुख्य कार्यपालक अधिकारी, पंचायत समिति, कदवा, कटिहार के माध्यम से।
36. राजेंद्र कुमार केवट, पिता- अज्ञात पंचायत समिति सदस्य, प्रखंड विकास अधिकारी सह मुख्य कार्यपालक अधिकारी, पंचायत समिति, कदवा, कटिहार के माध्यम से।
37. फ्रांसिस मरांडी, पिता- अज्ञात पंचायत समिति सदस्य, प्रखंड विकास अधिकारी सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समिति, कदवा, कटिहार के माध्यम से।
38. मोहम्मद अजफारूल, पिता- अज्ञात पंचायत समिति सदस्य, प्रखंड विकास अधिकारी सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समिति, कदवा, कटिहार के माध्यम से।

39. सिकंदर, पिता- अज्ञात पंचायत समिति सदस्य, प्रखंड विकास अधिकारी सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समिति, कदवा, कटिहार के माध्यम से।
40. दिलीप कुमार मंडल, पिता- अज्ञात पंचायत समिति सदस्य, प्रखंड विकास अधिकारी सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समिति, कदवा, कटिहार के माध्यम से।
41. मोहम्मद जैद अंजुम, पति अज्ञात पंचायत समिति सदस्य, प्रखंड विकास अधिकारी सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समिति, कदवा, कटिहार के माध्यम से।
42. मंती देवी पति अज्ञात पंचायत समिति सदस्य, प्रखंड विकास पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति, कदवा, कटिहार के माध्यम से।

.....प्रतिवादी/ओं

==========

के साथ

दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 2733/2024

==========

अनिल कुमार पिता भिखारी सिंह, निवासी गांव- मछही, थाना- सकरा, जिला- मुजफ्फरपुर, बिहार।

.....0 याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना के माध्यम से।
2. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना।
3. निदेशक, पंचायती राज, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना।
4. कलेक्टर-सह-जिला मजिस्ट्रेट, जिला- मुजफ्फरपुर।
5. उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, मुजफ्फरपुर।
6. जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर।
7. रीना कुमारी, पति प्रमोद कुमार, जिला परिषद सदस्य, मुजफ्फरपुर, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, मुजफ्फरपुर के माध्यम से।
8. निरुपमा सिंह, पति राहुल राज, जिला परिषद सदस्य, मुजफ्फरपुर, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, मुजफ्फरपुर के माध्यम से।

9. अभिषेक कुमार, पिता उमेशचंद्र ठाकुर, सदस्य, जिला परिषद, मुजफ्फरपुर, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, मुजफ्फरपुर के माध्यम से।
10. नवीन कुमार शाह, पिता राघो साह, सदस्य, जिला परिषद, मुजफ्फरपुर, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, मुजफ्फरपुर के माध्यम से।
11. संगीत पासवान, पिता पलटन पासवान, सदस्य जिला परिषद, मुजफ्फरपुर, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, मुजफ्फरपुर के माध्यम से
12. संतलाल पासवान, पिता मुंशी पासवान, जिला परिषद सदस्य, मुजफ्फरपुर, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, मुजफ्फरपुर के माध्यम से।
13. राममंद ओझा, पिता स्वर्गीय सत्यनारायण ओझा, जिला परिषद सदस्य, मुजफ्फरपुर, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, मुजफ्फरपुर के माध्यम से।
14. प्रियंका कुमारी, पति सुशील कुमार, जिला परिषद सदस्य, मुजफ्फरपुर, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, मुजफ्फरपुर के माध्यम से।
15. संगीता देवी, पति राम इकबाल राम, जिला परिषद सदस्य, मुजफ्फरपुर, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, मुजफ्फरपुर के माध्यम से।
16. गिरिजा चौधरी, पति प्रमोद कुमार चौधरी, जिला परिषद सदस्य, मुजफ्फरपुर, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, मुजफ्फरपुर के माध्यम से।
17. निर्मला देवी, पति रामप्रवेश सिंह, जिला परिषद सदस्य, मुजफ्फरपुर, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, मुजफ्फरपुर के माध्यम से।
18. फणीश कुमार, पिता स्वर्गीय बैद्यनाथ ठाकुर, जिला परिषद सदस्य, मुजफ्फरपुर, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, मुजफ्फरपुर के माध्यम से।
19. राजेश कुमार सहनी, पिता महेंद्र सहनी, जिला परिषद सदस्य, मुजफ्फरपुर, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, मुजफ्फरपुर के माध्यम से।
20. किरण देवी, पति सुरेश प्रसाद, जिला परिषद सदस्य, मुजफ्फरपुर, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, मुजफ्फरपुर के माध्यम से।
21. अर्चना कुमारी, पति सर्वेश कुमार, जिला परिषद सदस्य, मुजफ्फरपुर, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, मुजफ्फरपुर के माध्यम से।
22. पूनम देवी, पति शंकर महतो, जिला परिषद सदस्य, मुजफ्फरपुर, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, मुजफ्फरपुर के माध्यम से।
23. नेहा तिवारी, पति पंकज कुमार, जिला परिषद सदस्य, मुजफ्फरपुर, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, मुजफ्फरपुर के माध्यम से।

24. रेणु देवी, पति मोहन प्रसाद केशरी, जिला परिषद सदस्य, मुजफ्फरपुर, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, मुजफ्फरपुर के माध्यम से।
25. सावित्री देवी, पति देवेन्द्र कुंवर, जिला परिषद सदस्य, मुजफ्फरपुर, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, मुजफ्फरपुर के माध्यम से।
26. आलोक कुमार उपाध्याय, पिता ज्योति नारायण उपाध्याय, जिला परिषद सदस्य, मुजफ्फरपुर, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, मुजफ्फरपुर के माध्यम से।
27. विनोद कुमार सिंह, पिता कामेश्वर सिंह, जिला परिषद सदस्य, मुजफ्फरपुर, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, मुजफ्फरपुर के माध्यम से।
28. ललिता देवी, पति तुलसी राय, जिला परिषद सदस्य, मुजफ्फरपुर, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, मुजफ्फरपुर के माध्यम से।
29. रेनू देवी, पति पृथ्वी नाथ राय, जिला परिषद सदस्य, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, मुजफ्फरपुर के माध्यम से।
30. आशा देवी, पति श्री शंकर प्रसाद, जिला परिषद सदस्य, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद के माध्यम से मुजफ्फरपुर।
31. नशाबा खातून, पति मोहम्मद रहमतुल्लाह राय, जिला सदस्य परिषद, मुजफ्फरपुर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद के माध्यम से, मुजफ्फरपुर
32. बिपिन साही, पिता वीरेंद्र प्रसाद शाही, जिला परिषद सदस्य मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद के माध्यम से मुजफ्फरपुर।
33. गायत्री जयसवाल, पति शंकर चौधरी, जिला परिषद सदस्य, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद के माध्यम से मुजफ्फरपुर।
34. प्रेम कुमार, पति चंद्रदेव प्रसाद गुप्ता, जिला परिषद सदस्य, मुजफ्फरपुर, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, मुजफ्फरपुर के माध्यम से।
35. आभा ठाकुर, पति सुनील कुमार, जिला परिषद सदस्य, मुजफ्फरपुर, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, मुजफ्फरपुर के माध्यम से।
36. रानी कुमार, पति रविन्द्र कुमार, जिला परिषद सदस्य, मुजफ्फरपुर, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, मुजफ्फरपुर के माध्यम से।
37. मीना देवी, पति उमेश साह, जिला परिषद सदस्य, मुजफ्फरपुर, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, मुजफ्फरपुर के माध्यम से।
38. आसिफ इकबाल, पिता अताउर रहमान, जिला परिषद सदस्य, मुजफ्फरपुर, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, मुजफ्फरपुर के माध्यम से।

39. कुंदन कुमार, पिता स्वर्गीय गणेश प्रसाद सिंह, जिला परिषद सदस्य, मुजफ्फरपुर, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, मुजफ्फरपुर के माध्यम से।
40. राधा देवी, पति विनय कुमार, जिला परिषद सदस्य, मुजफ्फरपुर, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, मुजफ्फरपुर के माध्यम से।
41. आशा चौधरी, उमा शंकर चौधरी की पत्नी, जिला सदस्य परिषद, मुजफ्फरपुर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद के माध्यम से, मुजफ्फरपुर
42. विभा देवी, पति अंबिका राम, जिला परिषद सदस्य, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद के माध्यम से मुजफ्फरपुर।
43. पंकज लाल, पिता देवेन्द्र राम, जिला परिषद सदस्य, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद के माध्यम से मुजफ्फरपुर।
44. प्रियदर्शनी शाही, पति श्यामदेव प्रसाद साही, जिला परिषद सदस्य, मुजफ्फरपुर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, मुजफ्फरपुर के माध्यम से
45. ओम प्रकाश कुमार, पिता रामबली साह, जिला परिषद सदस्य, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद के माध्यम से मुजफ्फरपुर।
46. राजन देवी, पति अरुण साहनी, जिला परिषद सदस्य, मुजफ्फरपुर, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, मुजफ्फरपुर के माध्यम से।
47. विनोद कुमार, पिता रामचन्द्र राय, जिला परिषद सदस्य, मुजफ्फरपुर, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, मुजफ्फरपुर के माध्यम से।
48. हिमांशु कुमार, पिता चंद्रभूषण गुप्ता, जिला परिषद सदस्य, मुजफ्फरपुर, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, मुजफ्फरपुर के माध्यम से।
49. संजू कुमारी, पति अनीश प्रसाद साही, जिला परिषद सदस्य, मुजफ्फरपुर, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, मुजफ्फरपुर के माध्यम से।
50. ऋचा कुमारी, पति पवन कुमार भारती, जिला परिषद सदस्य, मुजफ्फरपुर, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, मुजफ्फरपुर के माध्यम से।
51. असलम अंसारी, पिता अहमद गफ्फार, जिला परिषद सदस्य, मुजफ्फरपुर, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, मुजफ्फरपुर के माध्यम से।
52. पूजा कुमारी, पति धर्मेंद्र मंडल, जिला परिषद सदस्य, मुजफ्फरपुर, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, मुजफ्फरपुर के माध्यम से।
53. राजीव कुमार, पिता अरुण कुमार सिंह, जिला परिषद सदस्य, मुजफ्फरपुर, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, मुजफ्फरपुर के माध्यम से।

54. इशरत परवीन, पति मोहम्मद बख्तयार अहमद, जिला परिषद सदस्य, मुजफ्फरपुर, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, मुजफ्फरपुर के माध्यम से।
55. किरण कुमारी, पति सीताराम साह, जिला परिषद सदस्य, मुजफ्फरपुर, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, मुजफ्फरपुर के माध्यम से।
56. संगीता देवी, पति विजय कुमार भगत, जिला परिषद सदस्य, मुजफ्फरपुर, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, मुजफ्फरपुर के माध्यम से।
57. विजनेश यादव, पिता जितेंद्र यादव, जिला परिषद सदस्य, मुजफ्फरपुर, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, मुजफ्फरपुर के माध्यम से।
58. नीलम देवी, पति अजय पासवान, जिला परिषद सदस्य, मुजफ्फरपुर, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, मुजफ्फरपुर के माध्यम से।
59. सुरेश प्रसाद यादव, पिता हरिहर राय, जिला परिषद सदस्य, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद के माध्यम से मुजफ्फरपुर।

.....प्रतिवादी/ओं

==========

साथ

दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 4315/2024

==========

1. अकबर हुसैन अंसारी पिता इशाक हुसैन अंसारी, निवासी ग्राम- मुंजी, थाना- काराकाट, जिला- रोहतास।
2. फुलझारो देवी, पति शिवनाथ सिंह, निवासी ग्राम- बेनसागर, थाना- काराकाट, जिला- रोहतास।
3. राज नाथ कुमार, पिता प्रभा शंकर, निवासी ग्राम- गम्हरिया, बाद, थाना- काराकाट, जिला- रोहतास।
4. ममता कुमारी, पति संतोष कुमार भारती, निवासी ग्राम- गम्हरिया बाद, थाना- काराकाट, जिला- रोहतास।
5. सीता देवी, पति विनोद कुमार सिंह, ग्राम निवासी- डॉ. मार्कंडेय, थाना- काराकाट, जिला- रोहतास।
6. उषा देवी, पति अंजनी सिंह, निवासी ग्राम- केचुआ, थाना- काराकाट, जिला- रोहतास।
7. सनमिता देवी, पति पिंटू साव, निवासी ग्राम- सकेला, थाना- काराकाट, जिला-रोहतास.
8. बिन्दु कुमारी, पति राजा कुमार, निवासी ग्राम-किरही, थाना-काराकाट, जिला-रोहतास

9. सरिता देवी, पति सुदेश्वर चौधरी, निवासी ग्राम- सिकरिया, थाना- काराकाट, जिला- रोहतास।
10. सतीश कुमार सिंह, पिता वीरेश्वर दयाल, निवासी ग्राम- अमौना, थाना- काराकाट, जिला- रोहतास।
11. राजेश कुमार राय, पिता राम प्रसाद राय, निवासी ग्राम- गुजरू, थाना- काराकाट, जिला- रोहतास।
12. मोहित कुमार, पिता श्याम किशोर सिंह, निवासी ग्राम- बसडीहा नासरीगंज, थाना- काराकाट, जिला- रोहतास।
13. निशा भारती, पति दिलीप कुमार, निवासी ग्राम-परसर, थाना-काराकाट, जिला-रोहतास
14. सत्येन्द्र कुमार मिश्र, पिता शिव बिलाश मिश्र, निवासी ग्राम- गोरख परासी, थाना- काराकाट, जिला-रोहतास।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. प्रधान सचिव, पंचायती राज के माध्यम से बिहार राज्य विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. समाहर्ता सह जिला दण्डाधिकारी, रोहतास (सासाराम)।
3. जिला पंचायती राज पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम)।
4. कार्यपालक पदाधिकारी (पंचायत समिति)-सह-बी.डी.ओ. काराकाट, रोहतास.
5. बैजंती देवी, पति राम नारायण पासवान, निवासी ग्राम- जोरारपुर, पोस्ट- बाराडीह, थाना- काराकाट, जिला-रोहतास।

.....प्रतिवादी/ओं

==========

साथ

दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 5497/2024

==========

कुमारी स्तुति, पति रवीन्द्र कुमार, निवासी ग्राम- कंडाप, थाना- गौरीचक, जिला- पटना।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. मुख्य सचिव, बिहार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।
3. प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना।

4. प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार, पटना।
5. जिला मजिस्ट्रेट, पटना।
6. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, पटना।
7. संजू देवी पति रंजीत कुमार, निवासी ग्राम- पुरानी पानापुर, थाना- दानापुर, जिला- पटना।
8. गुड्डी देवी पति राज कुमार सिंह, निवासी गांव ढिबरा, थाना- शाहपुर, दानापुर, जिला- पटना।
9. आशा देवी (उपाध्यक्ष) पति नरेंद्र कुमार, निवासी गांव आनंदपुर, थाना- बिहटा, जिला- पटना।
10. संजय कुमार, पिता भीम चौधरी, निवासी गांव- कन्हौली, थाना- बिहटा, जिला पटना।
11. शोभा देवी, पति कमलेश प्रसाद, निवासी गांव- रागिनिया बाग, थाना- नौबतपुर, जिला- पटना.
12. चिंटू कुमार, पिता सुशील प्रसाद, निवासी ग्राम बभनलाई, पोस्ट- लाई, थाना- बिहटा, जिला- पटना
13. मो. मुमताज अंसारी, पिता- कलामुद्दीन अंसारी, निवासी ग्राम- पिरही, पोस्ट- दिहुली, थाना- दुल्हिन बाज़ार, जिला पटना।
14. सर्वेश कुमार पिता- मुनेश्वर सिंह, निवासी ग्राम- पिरही, पोस्ट- दिहुली, थाना- दुल्हिन बाज़ार, जिला पटना।
15. शिव कुमार सिंह. पिता- स्वर्गीय जगदीप यादव, निवासी गांव- मधवा, पोस्ट- सेहरा, थाना- पालीगंज, जिला- पटना
16. मिथिलेश कुमार सिंह, पिता- धनंजय सिंह, निवासी गांव- बेला, पोस्ट- बारा कोरियम, थाना- पालीगंज, जिला पटना.
17. राम नारायण पिता सुखदेव प्रसाद यादव, निवासी ग्राम गुल्लीटांड़, पोस्ट- मखमिलपुर, थाना- पालीगंज, जिला- पटना
18. उपेन्द्र कुमार, पिता- बिन्देश्वर बिंद, निवासी ग्राम- बिहटा, पोस्ट- बिंदौली, थाना- भगवानगंज, जिला पटना।
19. रजनी देवी, पति सुमन कुमार, निवासी ग्राम- जाट डुमरी, पोस्ट- जाट डुमरी, थाना- पुनपुन, जिला पटना.
20. रुक्मणी देवी, पति अशोक कुमार, निवासी ग्राम- लहलादपुर, पोस्ट- मोहनपुर, थाना- गौरीचक, जिला पटना.

21. मंजू देवी पति उमा नाथ राम, निवासी ग्राम- कजरा, थाना- कच्ची दरगाह, थाना- दीदारगंज, जिला- पटना
22. इंदु देवी पति कैलाश रविदास, निवासी ग्राम- तरौरा, थाना- दनियावा, जिला- पटना।
23. अंजू देवी पति कुमार रजनीश, निवासी ग्राम लहलादपुर, थाना-गौरीचक, जिला-पटना।
24. रूबी कुमारी पति विशाल कुमार, निवासी ग्राम- गोविंदपुर, थाना- खुसरूपुर, बैकठपुर, जिला- पटना।
25. भोला महतो पिता- रामजी महतो, निवासी ग्राम- देदौर, थाना- बख्तियारपुर, जिला- पटना।
26. रागनी कुमारी पति अमित भारती, निवासी ग्राम- गोपकिता, पोस्ट- पंडारक, थाना- पंडारक, जिला- पटना
27. अनिता सिंह पति जीतेन्द्र प्रसाद सिंह, निवासी ग्राम- मुर्गियाचक, पोस्ट- अजगरा, थाना- पंडारक, जिला- पटना।
28. राज्य चुनाव आयुक्त, अपने सचिव के माध्यम से, तृतीय तल सोन भवन, पटना।

.....प्रतिवादी/प्रतिवादी

==========

साथ

दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 5788/2024

==========

रागिनी कुमारी, पति श्री अमित भारती, निवासी गांव- गोपकित्ता, पंडारक, जिला- पटना।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
2. प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना।
3. जिला मजिस्ट्रेट, जिला- पटना।
4. उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, जिला- पटना, पटना।
5. जिला पंचायती राज कार्यालय, जिला पटना।
6. जिला परिषद, जिला पटना अपने मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के माध्यम से।

7. राज्य चुनाव आयोग, बिहार, सोन भवन, बीरचंद पटेल पथ, पटना राज्य चुनाव आयुक्त के माध्यम से।
8. सचिव, राज्य चुनाव आयोग, बिहार, सोन भवन, बीरचंद पटेल पथ, पटना।
9. विशेष कार्य पदाधिकारी, राज्य चुनाव आयोग, बिहार, सोन भवन, बीरचंद पटेल पथ, पटना।
10. कुमारी स्तुति, पति श्री रवींद्र कुमार, निर्वाचित सदस्य (सम्पतचक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 27), जिला परिषद, पटना अपने मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी के माध्यम से।
11. पूनम देवी, पति श्री प्रशांत कुमार, निर्वाचित सदस्य (मनेर निर्वाचन क्षेत्र संख्या 01), जिला परिषद, पटना अपने मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी के माध्यम से।
12. गीता देवी, पति श्री भुवन प्रताप आजाद, निर्वाचित सदस्य (मनेर पूर्व निर्वाचन क्षेत्र संख्या 02), जिला परिषद, पटना अपने मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी के माध्यम से
13. संजू देवी, पति श्री रंजीत कुमार, निर्वाचित सदस्य (दानापुर उत्तर निर्वाचन क्षेत्र सं.03), जिला परिषद, पटना अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से।
14. गुड्डू देवी, पति श्री राज कुमार सिंह, निर्वाचित सदस्य (दानापुर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र संख्या 04), जिला परिषद, पटना अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से।
15. आशा देवी, पति श्री नागेंद्र कुमार, निर्वाचित सदस्य (बिहटा उत्तर निर्वाचन क्षेत्र सं.05), जिला परिषद, पटना अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से।
16. बीमा देवी, पति दशरथ कुमार, निर्वाचित सदस्य (बिहटा मध्य निर्वाचन क्षेत्र सं.-06), जिला परिषद, पटना अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से।
17. संजय कुमार, पिता भीम चौधरी, निर्वाचित सदस्य (बिहटा दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र सं.07), जिला परिषद, पटना अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से।
18. शोभा देवी, पिता कमलेश प्रसाद, निर्वाचित सदस्य (नौबतपुर उत्तर निर्वाचन क्षेत्र सं.08), जिला परिषद, पटना अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से।
19. नागेंद्र कुमार, पिता श्री रामबालक वर्मा, निर्वाचित सदस्य (नौबतपुर मध्य निर्वाचन क्षेत्र सं.-09), जिला परिषद, पटना अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से।
20. रमेश चौधरी, पिता श्री बिफन चौधरी, निर्वाचित सदस्य (नौबतपुर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र सं.-10), जिला परिषद, पटना अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से।
21. चिंटू कुमार, पिता श्री सुशील प्रसाद, निर्वाचित सदस्य (बिक्रम उत्तर निर्वाचन क्षेत्र सं.11), जिला परिषद, पटना अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से।

22. विशाल कुमार, पिता श्री जलेश्वर पासवान, निर्वाचित सदस्य (बिक्रम दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र संख्या 12), जिला परिषद, पटना अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से।
23. मो. मुमताज असारी, पति कलीमुद्दीन अंसारी, निर्वाचित सदस्य (दुल्हिन बाजार उत्तर निर्वाचन क्षेत्र संख्या 13), जिला परिषद, पटना अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से।
24. सर्वेश कुमार, पिता श्री मुनेश्वर सिंह, निर्वाचित सदस्य (दुल्हिन बाजार दक्षिण पूर्व निर्वाचन क्षेत्र संख्या 14), जिला परिषद, पटना अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से।
25. शिवकुमार सिंह, पिता स्वर्गीय जगदीप यादव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से जिला परिषद, पटना के सदस्य (पालीगंज उत्तर पूर्व निर्वाचन क्षेत्र संख्या 16) निर्वाचित हुए।
26. मिथिलेश कुमार सिंह, पिता श्री धनराज सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से जिला परिषद, पटना के सदस्य (पालीगंज दक्षिण पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र संख्या 17) निर्वाचित हुए।
27. उपेंद्र कुमार, पिता श्री बिंदेश्वर बिंद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से जिला परिषद, पटना के सदस्य (मसौढ़ी उत्तर निर्वाचन क्षेत्र संख्या 19) निर्वाचित हुए।
28. उदय कुमार, पिता श्री सुभाष चंद्र सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से जिला परिषद, पटना के सदस्य (मसौढ़ी मध्य निर्वाचन क्षेत्र सं.-20) निर्वाचित हुए।
29. सविता देवी, पति श्री विजय कुमार, निर्वाचित सदस्य (मसौढ़ी दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र संख्या 21), जिला परिषद, पटना अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से।
30. चंदन कुमार, पिता श्री देवेंद्र सिंह, निर्वाचित सदस्य (धनरुआ उत्तर निर्वाचन क्षेत्र संख्या 22), जिला परिषद, पटना अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से।
31. रेखा देवी, पति श्री बीरेंद्र कुमार, निर्वाचित सदस्य (धनरुआ दक्षिण पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र सं.-23), जिला परिषद, पटना अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से।
32. उर्मिला देवी, पति श्री भूपेंद्र कुमार सिंह, निर्वाचित सदस्य (धनरुआ दक्षिण पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र संख्या 24), जिला परिषद, पटना अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से।
33. रजनी देवी, पति श्री सुमन कुमार, निर्वाचित सदस्य (पुनपुन दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र संख्या 25), जिला परिषद, पटना अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से।

34. रुक्मणी देवी, पति श्री अशोक कुमार, निर्वाचित सदस्य (पुनपुन पूर्व निर्वाचन क्षेत्र संख्या 26), जिला परिषद, पटना अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से।
35. दीपक कुमार, पिता श्री अशोक मांझी, निर्वाचित सदस्य (फुलवारीशरीफ पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र संख्या 28), जिला परिषद, पटना अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से।
36. अनिता देवी, पति श्री अजीत कुमार पासवान, निर्वाचित सदस्य (फुलवारीशरीफ पूर्व निर्वाचन क्षेत्र संख्या 29), जिला परिषद, पटना अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से।
37. मंजू देवी, पति श्री उमानाथ राम, निर्वाचित सदस्य (पटना सदर पूर्व - निर्वाचन क्षेत्र संख्या 31), जिला परिषद, पटना अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से।
38. इंदु देवी, पति श्री कौशल रविदास, निर्वाचित सदस्य (दनियावां उत्तर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र सं.-32), जिला परिषद, पटना अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से।
39. अंजू देवी, पति श्री कुमार रजनीश, निर्वाचित सदस्य (फतुहा उत्तर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र सं.-33), जिला परिषद, पटना अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से।
40. अमित राज, पिता श्री रंजय कुमार, निर्वाचित सदस्य (फतुहा दक्षिण पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र सं.-34), जिला परिषद, पटना अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से।
41. रूबी कुमारी, पति श्री विशाल कुमार, निर्वाचित सदस्य (खुरूपुर निर्वाचन क्षेत्र सं.-35), जिला परिषद, पटना अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से।
42. रूनी देवी, पति श्री अरुण कुमार, निर्वाचित सदस्य (बख्तियारपुर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र संख्या 36), जिला परिषद, पटना अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से।
43. भोला महतो, पिता श्री रामजी महतो, निर्वाचित सदस्य (बख्तियारपुर पूर्व निर्वाचन क्षेत्र सं.-37), जिला परिषद, पटना अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से।
44. रेहाना परवीन, पति मो. खलीलुल्लाह मुंसरी, निर्वाचित सदस्य (अथमलगोला निर्वाचन क्षेत्र सं.-38), जिला परिषद, पटना अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से।
45. रविन्द्र पासवान, पिता श्री रामबालक पासवान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से जिला परिषद, पटना के सदस्य (बेलची निर्वाचन क्षेत्र संख्या 39) निर्वाचित हुए।
46. विजय कुमार, पिता श्री चंदर राम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से जिला परिषद, पटना के सदस्य (बाढ़ पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र संख्या 40) निर्वाचित हुए।
47. विजय शंकर, पिता श्री रामेश्वर सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से जिला परिषद, पटना के सदस्य (बाढ़ पूर्व निर्वाचन क्षेत्र संख्या 41) निर्वाचित हुए।

48. अनीता सिंह, पति श्री जितेंद्र प्रसाद सिंह, निर्वाचित सदस्य (पंडराक दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र सं.-43), जिला परिषद, पटना अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से।
49. रेखा देवी, पति श्री मनोज कुमार, निर्वाचित सदस्य (घोश्वरी निर्वाचन क्षेत्र संख्या 44), जिला परिषद, पटना अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से।
50. कुमार नवनीत हिमांशु, पिता श्री केसर पासवान, निर्वाचित सदस्य (मोकामा पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र संख्या 45), जिला परिषद, पटना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से।
51. रामनारायण प्रसाद, पिता श्री सुखदेव प्रसाद यादव, निर्वाचित सदस्य (पालीगंज दक्षिण पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र सं.-18), जिला परिषद, पटना अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से।
52. कमल किशोर प्रसाद, पिता श्री युगल किशोर प्रसाद, निर्वाचित सदस्य (मोकामा पूर्व-निर्वाचन क्षेत्र सं.-46), जिला परिषद, पटना अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से।

..... उत्तरदाता/गण

==========

उपस्थितिः

(2024 के पत्र पेटेंट अपील संख्या 125 में)

अपीलार्थी/ओं के लिए	:	श्री के. एन. चौबे, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री संजीव कुमार सिंह, अधिवक्ता
		श्री उमाकांत प्रसाद, अधिवक्ता
राज्य के अधिवक्ता	:	श्री पी. के. शाही, एजी
		श्री अजय, जी. ए.-5
		श्री अमीश कुमार, अधिवक्ता, ए. सी. से ए. जी.
जिला परिषद, सिवान के लिए	:	श्री धनंजय कुमार, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी संख्या 8-18 के लिए	:	श्री वाई. वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता।
		श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
		श्री विजय शंकर तिवारी, अधिवक्ता
		श्री रोहित सिंह, अधिवक्ता।
		श्री अविनाश शेखर, अधिवक्ता।

(2024 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 146 में)

अपीलार्थी/ओं के लिए	:	श्री कुमार हर्षवर्धन,
राज्य के अधिवक्ता	:	श्री जी. ए.-5
		श्री निरंजन कुमार, अधिवक्ता
		श्री सूर्य प्रताप कुमार, अधिवक्ता।

(2024 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 1507 में)

याचिकाकर्ताओं के लिए	:	श्री निरंजन कुमार, अधिवक्ता
		श्री रवि राज, अधिवक्ता
राज्य की ओर से	:	श्री अजय, जी.ए.-10

(दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 1521/2024 में)

याचिकाकर्ता/ओं की ओर से	:	श्री अवनीश कुमार, अधिवक्ता
राज्य की ओर से	:	श्री जी.पी.-27

(दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 1851/2024 में)

याचिकाकर्ता/ओं की ओर से	:	श्री अवनीश कुमार, अधिवक्ता
राज्य की ओर से	:	श्री खुर्शीद आलम, एएजी-12

(दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 2516/2024 में)

याचिकाकर्ता/ओं की ओर से	:	श्री मृत्युंजय कुमार, अधिवक्ता
राज्य की ओर से	:	श्री पी.के. शाही, ए.जी
		श्री अंजनी कुमार, एएजी-4
		श्री आलोक कुमार राही, एसी टू एएजी-4
		श्री अमित कुमार झा, एसी टू एएजी-4
		श्री उत्कर्ष भूषण, अधिवक्ता

(दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 2717/2024 में)

याचिकाकर्ताओं के लिए	:	श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
		श्री विजय शंकर तिवारी, अधिवक्ता
		श्री रोहित सिंह, अधिवक्ता

		श्री अविनाश शेखर, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री मुज्तबाउल हक, जीपी-12
		श्री मनीष कुमार, एसी टू जीपी-12
		श्री अजीत कुमार सिंह, अधिवक्ता

(दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 2733/2024 में)

याचिकाकर्ताओं के लिए	:	श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
		श्री विजय शंकर तिवारी, अधिवक्ता
		श्री रोहित सिंह, अधिवक्ता
		श्री अविनाश शेखर, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री सैयद हुसैन मजीद, एसी टू एससी
		श्री सुनील कुमार ठाकुर, अधिवक्ता

(दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 4315/2024 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए	:	श्री पुष्कर नारायण शाही, वरीय अधिवक्ता
		श्री शिवम, अधिवक्ता
		श्री संजय कुमार, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री एएजी-13
एस.ई.सी. के लिए	:	श्री रवि रंजन, अधिवक्ता
		श्री गिरीश पांडे, अधिवक्ता।

(2024 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 5497 में)

याचिकाकर्ताओं के लिए	:	श्री पुष्कर नारायण शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री शिवम, अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी संख्या 9 के लिए	:	श्री ललित किशोर, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री आयुष कुमार, अधिवक्ता।
		सुश्री कनिष्क शंकर, अधिवक्ता।
		श्री रंजीत चौबे, अधिवक्ता।
राज्य के अधिवक्ता	:	श्री राघवानंद, जी. ए.-11
		श्री रजनीश शांडिल्य, एसी से जीए-11
		श्री प्रतीक कुमार, एसी से जीए-11

एस. ई. सी. के लिए : श्री रवि रंजन, अधिवक्ता।
श्री गिरीश पांडे, अधिवक्ता।

(2024 के दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 5788 में)

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री अक्षांश अंकित, अधिवक्ता।
राज्य के अधिवक्ता : श्री सुशील कुमार, जीपी-22
श्री नरेंद्र कुमार सिंह, एसी से जीपी-22

==========

समक्ष: माननीय मुख्य न्यायधीश
और
माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार
और
माननीय न्यायमूर्ति श्री हरीश कुमार

सी. ए. वी. निर्णय

(द्वारा: माननीय न्यायमूर्ति श्री अशुतोष कुमार)

तारीख : 16-05-2024

एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह उठा है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जाएगा) के तहत जिला परिषद के अध्यक्ष या उपाध्याय के खिलाफ लाए गए "अविश्वास" प्रस्ताव को जिला परिषद के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत से या उपस्थित और मतदान करने वाले सीधे निर्वाचित सदस्यों के बहुमत से सफलतापूर्वक पारित किया जाएगा।

2. ***सरिता कुमारी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (एल.पी.ए. संख्या 940/2008)*** में इस न्यायालय की खंडपीठ ने माना था कि इस तरह का प्रस्ताव जिला परिषद के कुल प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों के बहुमत से ही लाया जा सकता है। उस मामले में, 46 प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों वाली जिला परिषद, पटना के अध्यक्ष के खिलाफ "अविश्वास" का प्रस्ताव लाया गया था। "अविश्वास" प्रस्ताव पर विचार करने के उद्देश्य से आयोजित विशेष बैठक में 27 सदस्यों ने भाग लिया था। उनमें से तीन ने

वास्तविक मतदान में भाग नहीं लिया था। मतदान करने वाले 24 सदस्यों में से 23 ने "अविश्वास" के पक्ष में और एक ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया था। चूंकि 23 सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों का बहुमत नहीं बनाते थे, इसलिए यह माना गया कि "अविश्वास" प्रस्ताव पराजित हो गया और अध्यक्ष को अपना पद जारी रखने की अनुमति दी गई।

3. यह तर्क दिया गया कि चूंकि उपस्थित और मतदान करने वाले अधिकांश सदस्यों ने प्रस्ताव का समर्थन किया था, इसलिए अध्यक्ष को पद से हटा दिया जाना चाहिए था।

4. इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने, अधिनियम की धारा 70 (4) (1) के एक सादे पठन पर, इस तर्क को खारिज कर दिया कि प्रस्ताव को सफलतापूर्वक पारित किया गया था, क्योंकि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों का बहुमत का गठन नही करते थे।

5. विद्वत एकल न्यायाधीश के पूर्व-उल्लिखित निर्णय के खिलाफ अंतर-न्यायालय अपील में, खंड पीठ ने अपील को खारिज करते हुए कहा कि अधिनियम की धारा 70 (4) यह बहुत स्पष्ट करती है कि जब प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या का बहुमत "अविश्वास" के प्रस्ताव का समर्थन करता है, तभी ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया कहा जा सकता है। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों के बहुमत की है।

6. लगभग बारह साल बाद, ***धर्मशाला कुमारी बनाम हेमंत कुमार और अन्यः(2021) 3 पीएलजेआर 346*** में, प्रमुख और उप-प्रमुख के खिलाफ "अविश्वास" प्रस्ताव के संबंध में, अधिनियम की धारा 44 और 46 पर विचार करते हुए एक खंड पीठ ने कहा कि अधिनियम की धारा 44 (3) के तहत, यदि पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा, जो उपस्थित और मतदान करने वाले हैं, मतदान किया गया, तो "अविश्वास" प्रस्ताव को लागू

किया जाएगा, क्योंकि "अविश्वास" के प्रस्ताव को लागू करने के लिए कोई कोरम निर्धारित नहीं है।

7. यह ध्यान दिया जा सकता है कि अधिनियम के अध्याय-IV में आने वाली धारा 44 बिल्कुल धारा 70 के समान है, जो अधिनियम के अध्यक्ष-V में आती है। अधिनियम का अध्याय-IV पंचायत समितियों से संबंधित है, जबकि अध्याय-V जिला परिषद से संबंधित है।

8. "अविश्वास" प्रस्ताव से संबंधित प्रासंगिक खंड के निर्माण के संबंध में इस मतभेद का सामना करते हुए, इस मुद्दे को समाधान के लिए इस पूर्ण पीठ के समक्ष रखा गया है।

9. ***धर्मशीला कुमारी*** (ऊपर) में, पंचायत समिति, वैशाली के 22 सदस्यों में से 10 सदस्यों ने प्रमुख और उप-प्रमुख दोनों के खिलाफ "अविश्वास प्रस्ताव" की मांग की थी। इस उद्देश्य के लिए आयोजित विशेष बैठक में, समिति के 22 निर्वाचित सदस्यों में से केवल 10 ने कार्यवाही में भाग लिया था जिसमें माँगकर्ता और प्रमुख के साथ-साथ उप-प्रमुख भी उपस्थित नहीं थे। उक्त बैठक में, 7 सदस्यों ने ध्वनि मत से प्रस्ताव का समर्थन किया। हालाँकि, बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति (अध्यक्ष) की राय थी कि चूंकि 22 सदस्यों में से केवल 10 ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया था, इसलिए इसे अस्वीकार करना पड़ा क्योंकि बहुमत के लिए कम से कम 12 सदस्यों द्वारा मतदान की आवश्यकता होगी।

10. इस संदर्भ में यह मुद्दा उठा था कि क्या अधिनियम की धारा 44 (3) ने "अविश्वास" प्रस्ताव पर चर्चा करने और मतदान करने के लिए बुलाई गई विशेष बैठक के लिए किसी भी कोरम को अनिवार्य किया था।

11. पूर्णता के लिए, हम इसे अधिनियम की पूरी धारा 70 को निकालने के लिए उपयुक्त मानते हैं, जो नीचे दी गई हैः-

70. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का त्यागपत्र या निष्कासन- (1) अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं और उपाध्यक्ष अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अध्यक्ष को संबोधित करके अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं।

(2) उप-धारा (1) के तहत प्रत्येक त्यागपत्र ऐसे त्यागपत्र की तारीख से सात दिनों की समाप्ति पर प्रभावी होगा, जब तक कि सात दिनों की उक्त अवधि के भीतर वह जिला मजिस्ट्रेट या अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा ऐसे त्यागपत्र को वापस नहीं ले लेता है।

(3) यदि वह जिला परिषद का सदस्य नहीं रहता है तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष कार्यालय खाली कर देंगे।

(4) (i) यदि जिला परिषद के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत से उस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से बुलाई गई बैठक में उसके प्रति विश्वास की कमी व्यक्त करने वाला प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो अध्यक्ष और उप-अध्यक्ष को तुरंत अपने पद को त्याग दिया गया माना जाएगा। ऐसी विशेष बैठक की मांग पर जिला परिषद के प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम पांचवें हिस्से द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे अध्यक्ष को और इसकी एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट को दी जाएगी। इस तरह की मांग की प्राप्ति की तारीख से सात दिनों के भीतर अध्यक्ष जिला परिषद की एक विशेष बैठक बुलाएगा। बैठक उस दिन आयोजित की जाएगी जो बैठक की सूचना जारी होने की तारीख से पंद्रह दिनों से अधिक की नही होगी। यदि प्रस्ताव उपाध्याय के खिलाफ है तो बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष करेंगे; यदि यह अध्यक्ष के खिलाफ है तो उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेंगे और यदि यह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के खिलाफ है तो जिला मजिस्ट्रेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

उपाध्यक्ष का पद खाली होने या अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए बुलाई गई बैठक में उनकी अनुपस्थिति या अध्यक्ष का पद खाली होने या उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए बुलाई गई बैठक में उनकी अनुपस्थिति की स्थिति में, बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे निर्वाचित सदस्यों में से किसी भी सदस्य द्वारा की जाएगी जो बैठक में उपस्थित हैं। अध्यक्ष द्वारा बैठक बुलाने में विफल रहने की स्थिति में, जिला मजिस्ट्रेट उसी तरीके से बैठक बुलाएगा और बैठक की अध्यक्षता उनके द्वारा की जाएगी। <u>एक बार नोटिस जारी होने के बाद ऐसी किसी भी बैठक को स्थगित नहीं किया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई विशेष बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।</u>

(जोर दिया गया है)

(ii) कार्यकाल की पहली दो साल की अवधि के दौरान, अध्यक्ष या उपाध्याय के खिलाफ "अविश्वास" प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा।

(iii) अध्यक्ष या उपाध्याय या दोनों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, जिला परिषद का कार्यकाल समाप्त होने के छह महीने के भीतर नहीं लाया जाएगा।

(iv) ऐसे कारण/आरोप, जिनके आधार पर अध्यक्ष या उपाध्याय के खिलाफ "अविश्वास" प्रस्ताव लाया जाना है, का "अविश्वास" प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बुलाई गई बैठक के नोटिस में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा।

(v) जैसे ही इस धारा के तहत बुलाई गई बैठक शुरू होती है, बैठक में पीठासीन सदस्य उपस्थित सदस्यों के समक्ष उस प्रस्ताव को पढ़ेगा, जिस पर विचार करने के लिए बैठक बुलाई गई है और इसे चर्चा के लिए खुला घोषित करेगा।

इस धारा के तहत प्रस्ताव पर किसी भी चर्चा को स्थगित नहीं किया जाएगा।

(vi) चर्चा के दौरान, अध्यक्ष या उपाध्याय या दोनों को जिला परिषद के समक्ष अपनी बचाव के लिए अवसर दिया जाएगा, जिनके खिलाफ "अविश्वास प्रस्ताव" पेश किया जाता है। प्रस्ताव पर चर्चा के बाद उसी दिन मतदान किया जाएगा जो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित तरीके से गुप्त मतदान द्वारा किया जाएगा।

(vii) यदि अध्यक्ष या उपाध्याय या दोनों के खिलाफ "अविश्वास" का प्रस्ताव एक बार अस्वीकार कर दिया जाता है, तो अध्यक्ष या उपाध्याय या दोनों के खिलाफ "अविश्वास" का कोई नया प्रस्ताव, जैसा भी मामला हो, ऐसे प्रस्ताव की अस्वीकृति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर जिला परिषद के समक्ष नहीं लाया जाएगा।

(5) इस अधिनियम के तहत प्रावधानों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, यदि [सरकार] की राय में [2008 का संशोधन अधिनियम 8 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित] जिला परिषद पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र रखने वाला, जिला परिषद के एक अध्यक्ष या उपाध्याय लगातार तीन से अधिक बैठकों या सत्रों के लिए पर्याप्त कारण के बिना अनुपस्थित रहता है या इस अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों और कार्यों को जानबूझकर छोड़ देता है या पालन करने से इनकार करता है, या उसमें निहित शक्ति का दुरुपयोग करता है या अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कदाचार का दोषी पाया जाता है या अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो जाता है या छह महीने से अधिक समय से किसी आपराधिक मामले में आरोपी होने के नाते फरार है, तो [सरकार] [2008 का संशोधन अधिनियम 8 की धारा 4 के अनुसार प्रतिस्थापित] यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्याय को स्पष्टीकरण का एक उचित अवसर देने के बाद, आदेश द्वारा,

ऐसे अध्यक्ष या उपाध्याय को, जैसा भी मामला हो, पद से हटा सकती हैं।

[बशर्ते कि जब धारा 152 की उप-धारा (5) के तहत स्थापित लोक प्रहरी की प्रणाली राज्य सरकार की एक वैध अधिसूचना द्वारा लागू होती है, तो सरकार केवल ऐसे अध्यक्ष या उपाध्याय को हटाने का आदेश पारित कर सकती है, जो हटाने के लिए लोक प्रहरी की जांच और सिफारिश के आलोक में हो।]

[निहित शक्तियों के दुरुपयोग या अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कदाचार के दोषी पाए जाने के आरोप में इस तरह से हटाया गया अध्यक्ष या उप-अध्यक्ष इस तरह के निष्कासन की तारीख से अगले पांच साल तक किसी भी पंचायत निकाय के चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा। शेष प्रभारों पर इस प्रकार हटाए गए अध्यक्ष या उप-अध्यक्ष ऐसी जिला परिषद के पद के शेष कार्यकाल के दौरान अध्यक्ष या उप-अध्यक्ष के रूप में फिर से चुनाव के लिए पात्र नहीं होंगे।]

(2) उप-धारा (1) के तहत कार्यालय से हटाए गए एक अध्यक्ष या उप-अध्यक्ष को भी सरकार द्वारा जिला परिषद की सदस्यता से हटाया जा सकता है।

12. यह ध्यान दिया जा सकता है कि अधिनियम का अध्याय-V, जो जिला परिषद की स्थापना से संबंधित है, इसकी संरचना; जिस तरीके से सदस्यों को चुना जा सकता है; सीटों का आरक्षण; परिषद की अवधि; अध्यक्ष और *उपाध्यक्ष* का चुनाव; उनके भत्ते और *अध्यक्ष* और *उपाध्यक्ष* की शक्तियां, कार्य और कर्तव्य के लिए प्रावधान करता है।

13. अधिनियम की धारा 70 अध्यक्ष और *उपाध्यक्ष* के इस्तीफे या हटाने से संबंधित प्रक्रिया का प्रावधान करती है। अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट को अपना त्याग पत्र भेजकर इस्तीफा दे सकता था, जबकि उपाध्याय इसे अध्यक्ष को संबोधित करके इस्तीफा दे सकते थे। इस्तीफे को इस तरह के इस्तीफे की तारीख से सात दिनों की समाप्ति पर प्रभावी माना

जाएगा, जब तक कि उपरोक्त अवधि के भीतर निर्माता द्वारा इसे वापस नहीं लिया जाता है। एक अन्य संभावना जिसमें अध्यक्ष या *उपाध्यक्ष* को जब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो उन्हें पद खाली करना होगा और जिला परिषद का सदस्य बने नहीं रहना होगा।

14. अधिनियम की धारा 70 (4) में प्रक्रिया को अच्छी तरह से निर्धारित किया गया है। इसमें प्रावधान है कि यदि उनमें विश्वास की कमी व्यक्त करने वाला प्रस्ताव जिला परिषद के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत द्वारा विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए बुलाई गई बैठक में पारित किया जाता है, तो अध्यक्ष और उपाध्याय को अपने कार्यालयों को तुरंत खाली कर दिया गया माना जाएगा।

(जोर दिया गया)

15. यह नहीं भूलना चाहिए कि खंड के प्रारंभिक भाग में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि प्रस्ताव को इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से बुलाई गई बैठक में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत द्वारा पारित किया जाएगा। "विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए बुलाई गई बैठक में" वाक्यांश को प्रावधान अर्थात प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों के कुल का बहुमत के पूर्व भाग के लिए एक आवश्यक सहायक के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। बहुमत के लिए जिस संख्या की परिकल्पना की गई है, वह उन सदस्यों की संख्या है जो बैठक में उपस्थित होंगे, जो विशेष रूप से "अविश्वास" प्रस्ताव पर चर्चा करने के उद्देश्य से बुलाई गई।

16. जिला परिषद में जिले के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे निर्वाचित सदस्य और जिले की सभी पंचायत समितियों के प्रमुख और लोकसभा के ऐसे सदस्य और राज्य विधानसभा के सदस्य होते हैं जो किसी भी हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं जो पूरी तरह से या आंशिक रूप से जिले के भीतर आता है और जिसका निर्वाचन क्षेत्र जिले के भीतर आता

है और राज्य सभा के सदस्य और राज्य विधान परिषद के सदस्य जो जिले के भीतर निर्वाचक के रूप में पंजीकृत होते हैं।

17. जिला परिषद के प्रत्येक सदस्य को अपनी बैठकों में मतदान करने का अधिकार है, लेकिन अध्यक्ष और उपाध्याय के चुनाव और हटाने के मामले में, केवल जिले के निर्वाचन क्षेत्रों से सीधे चुने गए सदस्यों को मतदान का अधिकार है।

18. अधिनियम की धारा 70 में निर्धारित मतों का बहुमत इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से बुलाई गई बैठक में सीधे निर्वाचित सदस्यों का होता है।

19. विधानमंडल का इरादा बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है क्योंकि धारा 70 (4) में प्रावधान है कि ऐसी कोई भी बैठक जो विशेष रूप से बुलाई गई है, स्थगित नहीं की जाएगी और "अविश्वास" प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई विशेष बैठक के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।

20. पूर्व-उल्लिखित ऐसे दो प्रावधान केवल अधिशेष नहीं हैं; बल्कि विशिष्ट संकेत हैं कि किसी भी कोरम के अभाव में, बहुमत का अर्थ केवल उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों से होगा, न कि निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या का बहुमत से।

21. हम ऐसा किसी और कारण से भी कहते हैं।

22. "अध्यक्ष और उपाध्याय के कार्यकाल के पहले दो वर्षों के दौरान अविश्वास प्रस्ताव को अधिसूचित नहीं किया जाता है। इस तरह का प्रस्ताव जिला परिषद का कार्यकाल समाप्त होने के अंतिम छह महीनों के भीतर भी नहीं लाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, 2015 के संशोधन अधिनियम 15 (01/01/2016 से लागू) द्वारा एक संशोधन लाया गया था कि "अविश्वास" प्रस्ताव अध्यक्ष या उपाध्याय के पूरे कार्यकाल में केवल एक बार लाया जा सकता है। इस संशोधन के पीछे कोई कारण प्रतीत होता है।

23. अनुभव यह रहा था कि "अविश्वास" प्रस्तावों को अनौपचारिक और बेपरवाह तरीके से लाया गया था और कई बार, जब इसे लाया गया था, तो चर्चाओं और

मतदान को कुछ लोगों की साजिशों द्वारा विफल कर दिया गया था, जिससे जिला परिषद का पूरा कार्यकाल निष्क्रिय हो गया था और परिषद को चालाकी और भ्रष्टाचार के केन्द्र के रूप में सीमित कर दिया गया था।

24. लोकतंत्र और उसके काम करने की बारीकियां केवल अनुभव, उपयोग और प्रथाओं के साथ आती हैं। यह किसी कारण से सोचा गया था कि जिला परिषद के कार्यकाल के पहले दो वर्षों में, "अविश्वास" प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अनुभव से पता चला था कि युद्धरत सदस्यों द्वारा बार-बार "अविश्वास" के प्रस्ताव लाए गए थे, जिससे अध्यक्ष और उपाध्याय को अधिनियम के तहत मिशन और उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए कोई समय नहीं मिला।

25. इस प्रकार, 2015 के एक संशोधन द्वारा (01/01/2016 से प्रभावी), यह स्पष्ट किया गया था कि अध्यक्ष या उपाध्याय के कार्यकाल में, उनके खिलाफ केवल एक बार "अविश्वास" प्रस्ताव लाया जा सकता था।

26. इसी पृष्ठभूमि में धारा 70 (4) के शब्दों का अर्थ लगाया जाना चाहिए।

27. अन्यथा भी, यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है और क़ानून के व्याख्या का एक प्रमुख सिद्धांत भी है कि क़ानून के किसी भी भाग या एक शब्द का अलग से अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए और यह प्रभाव सभी प्रावधानों को दिया जाना चाहिए, ऐसा न हो कि यह एक सामंजस्यपूर्ण व्याख्या न हो। प्रयास सभी प्रावधानों को प्रभावी बनाने का होना चाहिए और प्रावधानों में से एक को मृत पत्र या "बेकार लकड़ी" के रूप में कम नहीं करना चाहिए।

28. न्यायालयों का यह कर्तव्य है कि वे अधिनियम के दो प्रावधानों के बीच किसी भी आमने-सामने के टकराव से बचें और उन प्रावधानों का इस तरह से अर्थ निकालें जो एक-दूसरे के साथ टकराव में प्रतीत हो सकते हैं - इस प्रकार/तरीके से कि उन्हें

सामंजस्य में लाया जा सके। **(अज़मल इमाम बनाम बिहार राज्यः(2011) 5 एस. सी. सी. 729; सुल्ताना बेगम बनाम प्रेमचंद जैनः(1197) 1 एससीसी 373) का संदर्भ लें।**

29. ऐसा प्रतीत होता है कि अधिनियम की धारा 70 (4) (1) के संक्षिप्त पाठ में कठिनाई उत्पन्न हुई है कि यदि जिला परिषद के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत से विश्वास की कमी व्यक्त करने वाला प्रस्ताव पारित किया जाता है और वाक्य के अंतिम भाग को नहीं पढ़ा जाता है, अर्थात् विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए बुलाई गई बैठक में और एक स्टैंड अलोन प्रावधान है कि "अविश्वास" प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई विशेष बैठक के लिए किसी कोरम की आवश्यकता नहीं होगी, तो यह समझा जाएगा कि अध्यक्ष और उपाध्याय ने अपना पद तुरंत खाली कर दिया है। इसे एक एकल उदाहरण तक सीमित किए गए "अविश्वास" प्रस्ताव के संदर्भ में भी समझा गया।

30. **सरिता कुमारी** (ऊपर) में, खंड पीठ ने केवल अधिनियम की धारा 70 (4) के पहले भाग का उल्लेख किया और पूरे प्रावधान पर ध्यान नहीं दिया जो यह प्रदान करता है कि ऐसी बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं है।

31. विद्वान महाधिवक्ता ने **सरिता कुमारी** (उपरोक्त) में अभिधारणा का समर्थन करते हुए, अर्थात्, अध्यक्ष और उपाध्याय को हटाने के लिए कुल निर्वाचित सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता होगी, कहा कि यदि कोरम की आवश्यकता नहीं है, तो शायद, बैठक का परिणाम पूरे निकाय के इरादे या इच्छा को प्रतिबिंबित नहीं करेगा। न केवल क़ानून पर, बल्कि लोकतंत्र के मूल सिद्धांत पर भी धोखाधड़ी की संभावना हो सकती है। विद्वान महाधिवक्ता ने तर्क दिया कि ऐसी स्थिति हो सकती है जहां, अध्यक्ष या उपाध्याय ने सदन का विश्वास नहीं खोया होगा और फिर भी, कुछ लोगों की साजिशों के साथ, प्रस्ताव पारित करा लें।

32. यह तर्क इस कारण से स्वीकार्य नहीं है कि विपरीत कुछ परिस्थितियों में भी सच हो सकता है। कानून को चरम सीमाओं या बाहरी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए समझा या व्याख्या नहीं की जानी चाहिए। एक अध्यक्ष या उपाध्याय को अपने पदों पर बने रहने और जिला परिषद के मिशनों और उद्देश्यों के लिए जवाबदेह होने के लिए सदन का विश्वास होना चाहिए। कोई भी संगठन, चाहे वह स्थानीय निकाय हो, केवल तभी चल सकता है जब निर्वाचित प्रतिनिधियों को पूरे निकाय का विश्वास प्राप्त हो, जो उनके द्वारा प्राप्त मतों की संख्या से परिलक्षित होगा।

33. मतदान का अधिकार किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के केंद्र में निहित है, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि जिला परिषद या किसी अन्य निकाय के निर्बाध संचालन के उद्देश्य को लोगों को आने और प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में मतदान करने से रोककर या उन्हें किसी भी तरह से मतदान करने के लिए मजबूर करके रोका नहीं जा सकता है।

34. "अविश्वास" प्रस्ताव के लिए अनुरोध जिला परिषद के प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम पांचवें हिस्से के अनुमोदन से लाया जा सकता है।

35. जिस तरीके से चर्चा और मतदान किया जाना है, उसके लिए प्रावधान किया गया है।

36. कई आकस्मिकताओं को ध्यान में रखा गया है जैसे कि यदि अध्यक्ष या उपाध्याय बैठक बुलाने में विफल रहते हैं तो क्या होगा और चर्चा कैसे की जाएगी और प्रस्ताव पर मतदान कैसे किया जाएगा। प्रस्ताव पर चर्चाओं के बाद उसी दिन मतदान किया जाना आवश्यक है जिसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित तरीके से गुप्त मतदान द्वारा किया जाना है।

37. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के. एन. चौबे ने न्यायालय से इस बात पर विचार करने का आग्रह किया कि जनवाणी की प्रधानता होनी चाहिए। उन्होंने उच्च अधिकारियों के चुनाव से संबंधित भारत के संविधान के विभिन्न हिस्सों का भी उल्लेख किया, जहां संपूर्ण निकाय के बहुमत की आवश्यकता थी।

38. हमारे अनुमान में, इस तरह की तुलना क़ानून में पूर्ण स्पष्टता के कारण उपयुक्त नहीं है। यदि अधिनियम की धारा 70 (4) के प्रारंभिक वाक्य को समग्र रूप से पढ़ा जाता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि विधानमंडल का उद्देश्य विशेष रूप से बुलाई गई बैठक में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों का बहुमत था। इसका मतलब केवल उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों हैं और कुछ नहीं।

39. हम अधिनियम की धारा 70 (4) में उपयोग की गई भाषा में कोई दुर्गम अक्षमता नहीं पाते हैं। यह हमारे सामने ऐसी स्थिति प्रस्तुत नहीं करता है जिसमें व्याख्या के किसी विशिष्ट साधन को शामिल करने की आवश्यकता हो और ऐसा न करने से कानून की निरर्थकता कम हो जाएगी और कानून के स्पष्ट उद्देश्य को निरर्थक बना दिया जाएगा।

40. हम अत्यंत सम्मान के साथ कहते हैं कि **सरिता कुमारी** (उपरोक्त) में, शायद, अधिनियम की धारा 70 (4) की पूरी योजना को विस्तार से चर्चा नहीं किया गया था। इसे **धर्मशिला कुमारी** (उपरोक्त) में संक्षेप में समझाया गया है, जिसमें अध्यक्ष-IV के तहत प्रमुख और उप-प्रमुख के "अविश्वास" प्रस्ताव पर विचार किया गया है, जो प्रावधान, अर्थात् धारा 44 (3) अधिनियम की धारा 70 (4) के बिल्कुल समान है।

41. इस प्रकार, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि "अविश्वास" के प्रस्ताव को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता है, न कि जिला परिषद के कुल निर्वाचित सदस्यों के बहुमत की।

42. हमने अपने समक्ष किसी भी रिट याचिका या अपील के तथ्यों का उल्लेख नहीं किया है, जिसका निर्णय हमारे द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत पर किया जाएगा।

43. संदर्भ का जवाब उसी के अनुसार दिया जाता है।

(आशुतोष कुमार, न्यायमूर्ति)

के. विनोद चंद्रन, मुख्य न्यायाधीश, मैं सहमत हूँ।

(के. विनोद चंद्रन, मुख्य न्यायाधीश)

हरीश कुमार, न्यायमूर्तिः मैं सहमत हूँ।

(हरीश कुमार, न्यायमूर्ति)

कृष्ण/प्रवीण-II

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।